



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2018—आषाढ़ 15, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2018

क्रमांक एफ 20-01/ 2018/ ए-ग्यारहः राज्य शासन एतद् द्वारा आदेश क्रमांक एफ-20-32-2008-बी-11 दिनांक 29.12.2010 से जारी "मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा) नियम, 2010" को निरस्त करते हुए, संलग्न परिशिष्ट अनुसार "मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (ऑनलाइन गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा) नियम, 2018" जारी किये जाते हैं।

2/ "मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (ऑनलाइन गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा) नियम, 2018" की परिशिष्ट- 1 में दर्शित सूची के साथ संबंधित विभाग की प्रत्येक सेवा के लिए आवेदक को भरने वाले DYNAMIC CAF का प्रारूप प्रस्तावित ऑनलाइन सिस्टम "INVEST" पोर्टल में संलग्न स्वरूप अनुसार दिखेगा एवं यह प्रारूप संबंधित सेवाओं के लिए वर्तमान में प्रचलित संबंधित विभागों के निर्धारित आवेदन पत्र का स्थान लेगा। DYNAMIC CAF को एमपी ट्रायफेक के "INVEST" Portal के माध्यम से ऑनलाइन लागू करने के लिए, संबंधित विभाग के प्रचलित नियम तथा फार्म इस आशय तक संशोधित मान्य किया जाता है।

3/ समस्त संबंधित विभागों नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण विभाग, श्रम विभाग, उर्जा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/ एजेन्सी के वेबपोर्टल को उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अधीनस्थ एजेन्सी एमपी ट्रायफेक के वेबपोर्टल से एकीकृत किया जाना तथा जिस विभाग/ एजेन्सी की अनुमोदन/बाधा-निवारण सहमति के लिए ऑनलाइन सुविधा नहीं है, ऐसे विभाग/ एजेन्सी को एमपी ट्रायफेक के वेबपोर्टल पर लॉग-इन की सुविधा दिए जाने एवं ऐसे विभाग/ एजेन्सी द्वारा आवेदकों को ऑनलाइन अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति एमपी ट्रायफेक के "INVEST" Portal के माध्यम से, जारी करने की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4/ उक्त मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (ऑनलाइन गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा) नियम, 2018 आदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से लागू होंगे।

क्र. एफ- 20-32-2008- बी-ग्यारह- मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन 2008) के साथ पठित धारा 15 तथा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 29 दिसम्बर 2010 को अधिसूचित "मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संयुक्त आवेदन पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा) नियम 2010", को निरस्त करती है तथा इन नियमों के स्थान पर, निम्नलिखित नियम बनाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) में अपेक्षित किए गए अनुसार अधिसूचना जारी करने के पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-4 में प्रकाशित करती है।

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (ऑनलाइन गतिशील संयुक्त आवेदन पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा) नियम- 2018" {Madhya Pradesh Investment Promotion (Online Dynamic Combined Application Form and Time Limit for Processing of Applications) Rules - 2018}, है,

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन 2008),

(ख) "निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन गठित की गई 'निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति' से है,

(ग) "राज्य स्तरीय समिति" से अभिप्रेत है, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16 -11-2014- बी-ग्यारह भोपाल दिनांक 2 मार्च 2015 से अधिसूचित 'मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014' के

नियम 3 के उपनियम 3.21 के अधीन राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय साधिकार समिति", से है;

(घ) "नोडल एजेन्सी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-12 के अधीन समितियों के कार्यकरण के लिए निर्दिष्ट नोडल एजेन्सी से है,

(ङ) "संबंधित विभाग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का कोई विभाग जो अधिनियम के अधीन निवेशको के प्रस्ताव पर विभिन्न अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमतियां देता हो,

(च) "संबंधित एजेन्सी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग के अधीन काम कर रहा कोई निगम/मंडल या कोई ऐसी सत्ता जो अधिनियम के अधीन निवेशकों के प्रस्ताव पर विभिन्न अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमतियां देता हो,

(छ) " जिला स्तरीय समिति" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-9 के अधीन गठित की गई 'जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति' से है,

(ज) " एमएसएमईडी एक्ट 2006" से अभिप्रेत है, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित "दि माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइज डेव्हलपमेंट एक्ट 2006" से है,

(झ) " गतिशील संयुक्त आवेदन पत्र" से अभिप्रेत है, इन नियमों में नियम 3 में वर्णित गतिशील संयुक्त आवेदन पत्र से है,

(ञ) "अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति" से अभिप्रेत है, निवेशक को उसकी परियोजना की स्थापना/ संचालन के परिप्रेक्ष्य में विभाग/ एजेन्सी द्वारा ऑनलाइन जारी अनुमोदन/ पंजीयन/ अनुज्ञा/ सहमति/ सम्मति/ अनुमति/ आशय पत्र/ आवंटन आदेश/ सुविधा स्वीकृति आदेश आदि से है,

(ट) "निवेशक" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी/ या अन्य संस्था जो मध्यप्रदेश में किसी परियोजना के नवीन स्थापना अथवा किसी स्थापित परियोजना में विस्तार/ शक्तीकरण/ तकनीकी उन्नयन के लिए पूंजी निवेश की वांछा रखता हो, अथवा स्थापित परियोजना के लिए पूर्व से प्राप्त "अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति" के नवीनीकरण/ संशोधन करने की वांछा रखता हो,

(ठ) "वेब-पोर्टल" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार अथवा नोडल एजेंसी द्वारा सूचना-प्रौद्योगिकी तकनीक के अंतर्गत आकल्पित एवं विकसित किए गए तंत्र से है, जिस पर निवेशक द्वारा ऑनलाइन गतिशील संयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा संबंधित विभाग/ एजेंसी, आवेदको को ऑनलाइन अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति जारी कर सकेगा। वर्तमान में आकल्पित किए जाने वाले वेबपोर्टल को "INVEST" (Integrated New Venture Establishment) पोर्टल नाम दिया गया है।

(ड) "मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिमूर्चित मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम- 2010 से है,

(ढ) " समय-सीमा" से अभिप्रेत है, आवेदकों द्वारा गतिशील संयुक्त आवेदन पत्र में 'परियोजना स्थापना' एवं 'परियोजना संचालन' के लिए वांछित अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र के निराकरण के लिए संबंधित सेवाओं हेतु, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा अथवा इन नियमों में निर्धारित की जाने वाली समय-सीमा (जो भी कम हो) से है,

2. गतिशील संयुक्त आवेदन पत्र- (1), 'INVEST' पोर्टल पर परियोजनाओं के लिए एक सरलीकृत ऑनलाइन गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र, जो की संक्षिप्त रूप में DYNAMIC CAF के रूप में निर्दिष्ट है, में उन विभागों/ एजेंसियों से संबंधित आवेदन पत्रों के प्ररूपों का समावेश होगा, जिसके लिए आवेदक संबंधित अधिनियम/ नियम के अधीन अनुमति/ अनुमोदन हेतु आवेदन करना चाहता है। DYNAMIC CAF के प्रथम भाग में परियोजना की सामान्य/ आधारभूत जानकारी सम्मिलित होगी, जिसे आवेदक को एकबार ही भरना होगा, यह सामान्य/ आधारभूत जानकारी आवेदक द्वारा चाही जाने वाली प्रत्येक सेवा से संबंधित प्रत्येक आवेदन पत्र में ऑटो पापुलेट होकर आयेगी, तथा DYNAMIC CAF के अगले भाग में आवेदक को 'परियोजना स्थापना' अथवा 'परियोजना संचालन' की वांछित अनुमति/ अनुमोदन के लिए आवश्यक जानकारी भरना होगी। संलग्न परिशिष्ट- 1 में दर्शित सूची के साथ संबंधित विभाग की प्रत्येक सेवा के लिए आवेदक को भरने वाले DYNAMIC CAF का प्रारूप पृथक-पृथक संलग्न किया गया है, जो प्रस्तावित ऑनलाइन सिस्टम में संलग्न स्वरूप अनुसार दिखेगा एवं यह प्रारूप संबंधित सेवाओं के लिए वर्तमान में प्रचलित संबंधित विभागों के निर्धारित आवेदन पत्र का स्थान लेगा। प्रस्तावित DYNAMIC CAF को एमपी ड्रायफोक के "INVEST" Portal के माध्यम से ऑनलाइन लागू करने के लिए, संबंधित विभाग के प्रचलित नियम तथा फार्म इस आशय तक संशोधित माने जाएंगे।

(2) स्थापित परियोजना के लिए पूर्व से प्राप्त "अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति" के नवीनीकरण/ संशोधन आदि के लिए भी गतिशील संयुक्त आवेदन पत्र के माध्यम से निवेशक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे;

(3) DYNAMIC CAF का पूर्ण प्ररूप अधिसूचित नोडल एजेंसी की वेबसाइट पर अवलोकित किया जा सकेगा.

3. आवेदन शुल्क:- (1) इस अधिनियम के अधीन सुविधाएं प्रदाय करने हेतु नोडल एजेंसिया आवेदकों से DYNAMIC CAF के लिए आवेदन शुल्क ले सकती हैं, यह आवेदन शुल्क मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की सम्यक सहमति से एमपी ट्रायफेक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा समय-समय पर पुनरिक्षित किया जा सकेगा ।

(2) निवेशक को नियमों में वर्णित संयुक्त आवेदन पत्र के अनुदेश 6 में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान अपेक्षित होगा।

(3) अनुदेश-6 में वर्णित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त संयुक्त आवेदन-पत्र (DYNAMIC CAF) के साथ संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रभारित विभिन्न अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क पृथक से देना होगा। आवेदक को संबंधित विभागों/ एजेंसियों से 'परियोजना स्थापना' एवं 'परियोजना संचालन' के लिए आवश्यक अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति प्राप्त करने के लिए, नोडल एजेंसी एमपी ट्रायफेक के वेबपोर्टल पर, निर्धारित रीति अनुसार संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रभारित आवेदन शुल्क का एकजाई ऑनलाइन भुगतान करना होगा। नोडल एजेंसी एमपी ट्रायफेक द्वारा विभिन्न अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग/एजेंसी को की जाएगी।

(4) 'इन्वेस्ट' पोर्टल के लिए ऑनलाइन यूनिफाइड पैमेन्ट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। यह सिस्टम में आवेदक द्वारा आवेदित सेवाओं के शुल्क को एकजाई जोड़कर आवेदक से राशि प्राप्त करेगा तथा संबंधित विभागों के खातों में राशि अंतरित करने में सामंजस्य स्थापित करेगा। यदि उक्त विभागों/ एजेंसियों द्वारा वांछित सेवा का अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति निरस्त/ अस्वीकृत की जाती है उस दशा में आवेदक के डैशबोर्ड पर यूनिफाइड पैमेन्ट मैकेनिज्म से सूचना प्रेषित की जाएगी तथा आवेदक को रिफंड राशि प्राप्त करने के लिए उसके बैंक एकाउंट की जानकारी देने की अपेक्षा

की जाएगी। रिफंड केवल उचित प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे। समस्त यूनिफाइड पैमेन्ट प्रक्रिया सायबर ट्रेजरी के माध्यम से संचालित की जाएगी।

(5) सेवा प्रदाता संबंधित विभाग/ एजेंसी के सर्विस प्रोवाइडर चार्जस, यदि कोई हों, तो ऐसी राशि एमपी ट्रायफेक द्वारा निवेशक से ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी तथा आवेदन शुल्क राशि के साथ संबंधित विभाग/ एजेंसी को भेजी जाएगी।

(6) संबंधित विभाग/ एजेंसी को यदि किसी प्रकार का सेवाकर/ जीएसटी आदि देय हो, तो ऐसा भुगतान संबंधित विभाग/ एजेंसी को स्वयं करना होगा। एमपी ट्रायफेक द्वारा अन्य विभाग/ एजेंसी की देय सेवाकर/ जीएसटी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. **प्रक्रिया-** (1) कोई निवेशक, जो परियोजना स्थापित करने का आशय रखता है या उसकी वर्तमान इकाई में विस्तार, विविधता, आधुनिकीकरण करने की योजना बना रहा है और संबंधित विभागों/एजेन्सियों से सहमति/ बाधा- निवारण प्राप्त करने की वांछा रखता है, अथवा पूर्व से प्राप्त सहमति/ बाधा- निवारण / अनुमति के नवीनीकरण/ संशोधन आदि कराने की वांछा रखता है, तो वह भी गतिशील संयुक्त आवेदन- पत्र (DYNAMIC CAF) पर आवेदन कर सकेगा।

(2) सम्यक् रूप से भरे हुए संयुक्त आवेदन-पत्र तथा अन्य 'परियोजना स्थापना'/ 'परियोजना संचालन' के लिए आवश्यक आवेदन-पत्र, यथास्थिति, नोडल एजेन्सी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक आवेदक सम्यक् रूप से तैयार किया गया संयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय विहित प्ररूप में स्वप्रमाणन हेतु ऑनलाइन घोषणा प्रस्तुत करेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई ऑनलाइन घोषणा/ स्वप्रमाणन विभागों/ एजेन्सियों द्वारा उनके विभाग से संबंधित अधिनियमों/ नियमों के अंतर्गत बाधा- निवारण/ अनुमोदन/ अनुज्ञा जारी करने और अन्य वैधानिक प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य होगा।

(4) नामनिर्दिष्ट नोडल एजेन्सी के वेबसाइट पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदन, संबंधित विभागों/एजेन्सियों के वेबसाइट पर प्ररूप के सुसंगत भाग आनलाइन ही अग्रेषित होंगे। नोडल एजेन्सी से आवेदन-पत्र के ऐसे भाग के प्राप्त होने पर यथाविनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर संबंधित विभाग/ एजेन्सी उसका निराकरण करेंगे। इस हेतु संबंधित विभाग/ एजेंसी के वेबपोर्टल को एमपी ट्रायफेक के वेबपोर्टल से एकीकृत किया जाएगा। जिस विभाग/ एजेंसी की अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति के लिए ऑनलाइन सुविधा नहीं है, ऐसे विभाग/ एजेंसी को एमपी ट्रायफेक के वेबपोर्टल पर लॉग-इन की

सुविधा दी जाएगी तथा ऐसे विभाग/ एजेंसी एमपी ट्रायफेक के वेबपोर्टल से आवेदकों को ऑनलाइन अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति जारी कर सकेंगे।

(5) संबंधित विभाग/एजेन्सी प्रत्येक आवेदन के संबंध में लिए गए विनिश्चय के संबंध में, "इन्वेस्ट" पोर्टल के माध्यम से आवेदक को तथा संबंधित नोडल एजेन्सी को निर्धारित रीति अनुसार ऑनलाइन संसूचित करेगी। यदि कोई आवेदन संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा निरस्त किया जाता है तो यह उचित कारणों के साथ यथाविनिर्दिष्ट विहित समय-सीमा के भीतर, वेबसाइट पर "इन्वेस्ट" पोर्टल के माध्यम से निर्धारित रीति अनुसार आवेदक को ऑनलाइन सूचित करते हुए, नोडल एजेन्सी को भी ऑनलाइन संसूचित किया जाएगा।

(6) यदि आवेदक द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो संबंधित विभाग/ एजेन्सी सात कार्य दिवस के भीतर उसे पूर्ण करने हेतु आवेदक को वेबसाइट पर निर्धारित रीति अनुसार ऑनलाइन सूचित करते हुए नोडल एजेन्सी को भी सूचित करेंगे। संबंधित विभाग/एजेन्सी आवेदक से अतिरिक्त आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु भी कह सकता है। बशर्ते ऐसी समस्त अतिरिक्त जानकारी, एक बार में ही देने के लिए कहा जाए।

(7) नामनिर्दिष्ट नोडल एजेन्सी समुचित समिति के समक्ष उन मामलों की जानकारी प्रस्तुत करेगी जिनका कि विहित समय-सीमा का अवसान होने पर, संबंधित विभाग/ एजेन्सी ने विहित समय-सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया है। समुचित समिति उपयुक्त विनिश्चय करेगी जो नोडल एजेन्सी द्वारा निवेशकों, संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को संसूचित किए जाएंगे। समिति विभागों/ एजेन्सी को मामले के निराकरण में किए गए विलंब के लिए जिम्मेदारी भी नियत कर सकेगी तथा ऐसे विलंब के लिए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की सिफारिश भी करेगी।

(8) यदि कोई निवेशक कोई विशिष्ट/ विशेष सुविधा चाहने की वांछा करता है तथा जो DYNAMIC CAF के अन्तर्गत नहीं आता है, संबंधित नोडल एजेन्सी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा। नोडल एजेन्सी ऐसा प्रस्ताव संबंधित विभाग/ एजेन्सी को अग्रेषित करेगी और पन्द्रह दिन में उनकी राय मांग सकेगी। नोडल एजेन्सी उपयुक्त सुविधाओं के लिए विभाग/ एजेन्सी से प्राप्त राय के साथ संबंधित समिति के समक्ष ऐसा प्रस्ताव लाएगी। नोडल एजेन्सी समिति का अंतिम विनिश्चय आवेदक को संसूचित करेगी।

6. **मॉनीटरिंग** - (1) नोडल एजेन्सी उस सम्पूर्ण प्रक्रिया की मॉनीटरिंग करेगी जिसके द्वारा संबंधित विभागों/ एजेन्सियों द्वारा आवेदक को सहमति/ बाधा- निवारण प्रदान किए जा रहे हैं।
- (2) चूंकि नोडल एजेन्सी आवेदक को सुविधा प्रदान करने हेतु एकल खिड़की बाधा- निवारण है। अतएव, उनके लिए आवश्यक है कि वे संबंधित विभागों/ एजेन्सियों द्वारा अपनायी गई पूरी प्रक्रिया को मॉनीटर करे, ताकि समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके तथा अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।
- (3) आवेदक या संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा कोई समस्या या कठिनाई का अनुभव करने की दशा में उसे नोडल एजेन्सी द्वारा उपयुक्त समिति के समक्ष लाया जाएगा।
- (4), म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि. (एमपी ट्रायफेक) के वेबपोर्टल पर, "Feedback" नाम से 'क्लिक' बनाया जाएगा, जिसमें एमपी ट्रायफेक द्वारा राज्य शासन की निवेशकों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं/सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में, निवेशक इस "Feedback" क्लिक पर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं।
- (5) निवेशकों से प्राप्त सुझाव अनुसार एवं अन्य मामलों यथा - सार्वजनिक नीति, कार्यक्रमों, योजनाओं को रेखांकित करना, जनजागृति तथा नवाचार आदि में नोडल एजेंसी एमपी ट्रायफेक उपयुक्त समिति के समक्ष नियामक सुधारों (Regulatory Reforms) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगी।
7. **अपील-** (1) राज्य स्तरीय साधिकार समिति के विनिश्चय से व्यथित होने पर या असंतुष्ट रहने पर आवेदक निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति को विचारण के लिये अपील प्रस्तुत कर सकेगा। आवेदक के, निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के विनिश्चय से व्यथित होने की दशा में वो निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति से उसके विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिये अनुरोध कर सकेगा।

(2) निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि समीक्षा/ पुनर्विचार हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है, ऐसे प्रस्तावों पर उसके द्वारा लिये गये निर्णयों पर एक अथवा एक से अधिक बार पुनः विचार कर सकेगी। वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख को बढ़ाने के संबंध में की गयी अपील के लिये भी यह प्रावधान उपलब्ध होगा।

8. **सामान्य-** (1) प्रत्येक विभाग/ एजेंसी एवं नोडल एजेंसी इस अधिनियम के अधीन सुविधाओं के लिए आवेदक के प्रस्ताव पर कार्यवाही हेतु एक अधिकारी को नाम से नामनिर्दिष्ट करेगी।

(2) आवेदक संबंधित विभागों/ एजेंसियों को, उनके वेब-पोर्टल पर ऑनलाइन वांछित बाधा-निवारण/ सहमति प्राप्त करने हेतु सीधे भी आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदनों की प्राप्ति पर संबंधित विभाग/ एजेंसी इन नियमों के अधीन यथा विहित समय-सीमा के भीतर उनका भी निराकरण करेंगे। ऐसे आवेदनों के लिए संबंधित विभाग/ एजेंसियों के वेब-पोर्टल से आवेदक/ निवेशक को जारी संदर्भ क्रमांक/ यूनिक आई-डी का एमपी ट्रायफेक के वेब-पोर्टल पर एकीकरण किया जाकर संबंधित सेवा की एकजाई जानकारी संधारित की जा सकेगी।

(3) इन नियमों के निर्वचन से कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में उसे निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा समस्त संबंधितों पर बन्धनकारी होगा।

(4) समस्त संबंधित विभाग/एजेंसी अथवा उनके विभागाध्यक्ष आवेदनों का समय से तथा प्रभावी निराकरण हेतु इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर/नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।

(5) गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र में, यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, संबंधित विभाग की सहमति से संशोधन करने/ या उपांतरण करने के लिए प्राधिकृत होगा।

"गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र"**" अनुदेश "**

"मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (ऑनलाइन गतिशील संयुक्त आवेदन पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा) नियम- 2018" के अधीन गतिशील संयुक्त आवेदन- पत्र (सी.ए.एफ.) प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश।

कृपया सी.ए.एफ. प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित अनुदेश सावधानीपूर्वक देखें-

1. ऐसे निवेशक, जो नई परियोजना स्थापित करना चाहते हैं या जो उनके विद्यमान उद्योग का विस्तार/विविधिकरण या आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव करते हैं तथा जो विभिन्न विभागों/एजेन्सियों से सहमति/बाधा- निवारण चाहते हैं अथवा पूर्व से प्राप्त सहमति/ बाधा-निवारण/अनुमति का नवीनीकरण/संशोधन आदि कराने की वांछ रखते हैं, तो वे गतिशील संयुक्त आवेदन- (DYNAMIC CAF) में आवेदन कर सकेंगे।
2. 'INVEST' पोर्टल पर परियोजनाओं के लिए एक सरलीकृत ऑनलाइन गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र, जो की संक्षिप्त रूप में DYNAMIC CAF के रूप में निर्दिष्ट है, में उन विभागों/ एजेन्सियों से संबंधित आवेदन पत्रों के प्ररूपों का समावेश होगा, जिसके लिए आवेदक संबंधित अधिनियम/ नियम के अधीन अनुमति/ अनुमोदन हेतु आवेदन करना चाहता है। DYNAMIC CAF के प्रथम भाग में परियोजना की सामान्य/ आधारभूत जानकारी सम्मिलित होगी, जिसे आवेदक को एकबार ही भरना होगा, यह सामान्य/ आधारभूत जानकारी आवेदक द्वारा चाही जाने वाली प्रत्येक सेवा से संबंधित प्रत्येक आवेदन पत्र में ऑटो पापुलेट होकर आयेगी, तथा DYNAMIC CAF के अगले भाग में आवेदक को 'परियोजना स्थापना' अथवा 'परियोजना संचालन' की वांछित अनुमति/ अनुमोदन के लिए आवश्यक जानकारी भरना होगी।
3. एमएसएमईडी एक्ट 2006 में एमएसएमई के लिए निर्धारित एक निश्चित निवेश प्रस्तावित करने वाले आवेदक तथा एमएसएमईडी एक्ट 2006 में एमएसएमई के लिए निर्धारित एक निश्चित निवेश से अधिक निवेश प्रस्तावित करने वाले आवेदक द्वारा, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/ पार्क में परियोजना स्थापित करने पर विनिर्दिष्ट नोडल एजेन्सी अर्थात्

- मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी. ट्रायफेक), के वेबपोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं के लिए वांछित अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति हेतु संयुक्त आवेदन-पत्र (DYNAMIC CAF) में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
4. औद्योगिक परियोजना से भिन्न सेक्टरस यथा सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, एम.एस.एम.ई., स्वास्थ्य सेवाएं (चिकित्सा शिक्षा सहित), पर्यटन, भंडारण सेवाएं तथा अन्य वाणिज्यिक खुदरा गतिविधि (ऐसी गतिविधि जिनके लिए नियामक प्राधिकार गठित हों, को छोड़कर) आदि परियोजनाएं, जिनमें रु. 10 करोड़ से अधिक स्थायी अस्तियों में निवेश प्रस्तावित हों, प्रस्तावित करने वाले आवेदक नोडल एजेंसी एमपी ट्रायफेक के वेबपोर्टल पर वांछित अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति के लिए संयुक्त आवेदन-पत्र (DYNAMIC CAF) में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। एमएसएमई हेतु निवेश की सीमा एमएसएमईडी एक्ट, 2006 में निर्धारित निश्चित निवेश के अन्तर्गत होगी।
5. संयुक्त आवेदन-पत्र (DYNAMIC CAF) नोडल एजेंसी अर्थात् एम.पी. ट्रायफेक की अधिकृत वेबसाइट पर अवलोकित किया जा सकता है।
6. गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र (DYNAMIC CAF) के साथ आवेदक से निम्नानुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान अपेक्षित होगा :-

अनुक्रमांक	परियोजना में प्रस्तावित निश्चित पूंजी निवेश	आवेदन शुल्क रूपयों में
1	एमएसएमईडी एक्ट 2006 में सूक्ष्म श्रेणी उद्यम के लिए निर्धारित निवेश सीमा तक निवेश वाली परियोजना	रु. 500
2	एमएसएमईडी एक्ट 2006 में लघु श्रेणी उद्यम के लिए निर्धारित निवेश सीमा तक निवेश वाली परियोजना	रु. 2000
3	एमएसएमईडी एक्ट 2006 में मध्यम श्रेणी उद्यम के लिए निर्धारित निवेश सीमा तक निवेश वाली परियोजना	रु. 5000
4	एमएसएमईडी एक्ट 2006 में एमएसएमई के लिए निर्धारित एक निश्चित निवेश से अधिक निवेश वाली परियोजना	रु. 20000

7. अनुदेश-6 में वर्णित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त संयुक्त आवेदन-पत्र (DYNAMIC CAF) के साथ संबंधित विभागों/एजेन्सियों द्वारा प्रभारित विभिन्न अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क पृथक से देना होगा। आवेदक को संबंधित विभागों/ एजेंसियों से 'परियोजना स्थापना' एवं 'परियोजना संचालन' के लिए आवश्यक अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति प्राप्त करने के लिए, नोडल एजेंसी एमपी ट्रायफेक के वेबपोर्टल पर, निर्धारित रीति अनुसार संबंधित विभागों/एजेन्सियों द्वारा प्रभारित आवेदन शुल्क का एकजाई ऑनलाइन भुगतान करना होगा। नोडल एजेंसी एमपी ट्रायफेक द्वारा विभिन्न अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग/एजेंसी को की जाएगी।
8. आवेदक द्वारा वांछित विभिन्न अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति के लिए संबंधित विभागों/एजेन्सियों द्वारा प्रभारित आवेदन शुल्कों के राशि एवं देय सेवाकर/जीएसटी आदि की 'इन्वेस्ट' पोर्टल द्वारा गणना की जाएगी तथा आवेदक को यह एकजाई राशि ऑनलाइन जमा करना होगी।
9. 'इन्वेस्ट' पोर्टल के लिए ऑनलाइन यूनिफाइड पैमेन्ट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। यह सिस्टम में आवेदक द्वारा आवेदित सेवाओं के शुल्क को एकजाई जोड़कर आवेदक से राशि प्राप्त करेगा तथा संबंधित विभागों के खातों में राशि अंतरित करने में सामंजस्य स्थापित करेगा।
10. सर्वप्रथम राशि एमपी ट्रायफेक के व्यक्तिगत निक्षेप खाते (Personal Deposit Account) में जमा होगी। व्यक्तिगत निक्षेप खाता संचालित करने वाला अधिकारी इस राशि को संबंधित विभागों/ एजेंसियों के बैंक खाते अथवा कोषालय में शासन के सुसंगत प्राप्ति शीर्षों में उसी दिन अंतरित करेगा। समस्त यूनिफाइड पैमेन्ट प्रक्रिया सायबर ट्रेजरी के माध्यम से संचालित की जाएगी।
11. यदि उक्त विभागों/ एजेंसियों द्वारा वांछित सेवा का अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति निरस्त/ अस्वीकृत की जाती है उस दशा में आवेदक के डेशबोर्ड पर यूनिफाइड पैमेन्ट मैकेनिज्म से सूचना प्रेषित की जाएगी तथा आवेदक को रिफंड राशि प्राप्त करने के लिए उसके बैंक एकाउंट की जानकारी देने की अपेक्षा की जाएगी। रिफंड केवल उचित प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे।

12. आवेदकों से उन्हीं सेवाओं के आवेदन- पत्रों को भरकर प्रस्तुत करना अपेक्षित है जो उनकी परियोजना के लिए लागू है (गतिशील संयुक्त आवेदन- पत्र में सम्मिलित उन सभी आवेदन-पत्रों को भरा जाना आवश्यक नहीं है जो DYNAMIC CAF का भाग है)।

आवेदक को संयुक्त आवेदन-पत्र (DYNAMIC CAF) नोडल एजेंसी अर्थात् एम.पी. ट्रायफेक के वेबपोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। नामनिर्दिष्ट नोडल एजेंसी के वेबसाइट पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदन, संबंधित विभागों/एजेंसियों के वेबसाइट पर प्ररूप के सुसंगत भाग आनलाइन अग्रेषित होंगे। संबंधित विभागों/एजेंसियों के विनिर्दिष्ट अधिकारी संयुक्त आवेदन-पत्र का निम्नलिखित बिन्दुओं पर परीक्षण करेंगे कि -

- (एक) विहित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है या नहीं ;
- (दो) आवश्यक संलग्नक संलग्न किए गए हैं या नहीं ;
- (तीन) आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है या नहीं तथा पॉवर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है या नहीं ;
- (चार) कम्पनी के मामले में, परियोजना की स्थापना के निर्णय संबंधी कथन करते हुए कम्पनी के बोर्ड के संकल्प की प्रति संलग्न है या नहीं।
- (पाँच) अन्य कोई वैधानिक कारण ।

13. गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र के साथ विहित आवेदन शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र अपूर्ण माना जाकर उसका ऑनलाइन निराकरण नहीं किया जाएगा।

14. बाधा- निवारण/ सहमति प्राप्त करने हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन- पत्रों का निराकरण सुसंगत नियमों एवं अधिनियमों के अधीन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। आवेदन का निराकरण निर्धारित समय सीमा में करना होगा।

15. उन संलग्नकों तथा विशिष्टियों को, जो गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र (DYNAMIC CAF) के साथ ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य है तथा जिन्हें आवेदक ने ऑनलाइन जमा किया है, को आवेदक द्वारा स्वप्रमाणीकृत माना जाएगा।

16. अस्पष्ट, भ्रामक या गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में केवल आवेदक/ निवेशक ही मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 18(1) के अधीन परिणाम के प्रति उत्तरदायी होगा तथा आवेदक/ निवेशक द्वारा वांछित

सेवा से संबंधित अधिनियमों/ नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट वैधानिक कार्यवाही/ परिणाम के प्रति भी केवल आवेदक/ निवेशक ही उत्तरदायी होगा।

17. आवेदक को नोडल एजेंसी के वेबपोर्टल पर ही समस्त आवश्यक अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन ही आवेदन तथा आवेदन शुल्क प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की हार्डकापी स्वीकार नहीं की जाएगी। एक बार जमा होने पर, प्रत्येक अनुमोदनकर्ता एजेंसी द्वारा आवेदनों को ऑनलाइन ही प्रोसेस एवं अनुमोदित किया जाएगा न कि मैन्युअल या हार्ड कॉपी प्रक्रिया के माध्यम से, संबंधित विभाग/ एजेंसियां, "मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (ऑनलाइन गतिशील संयुक्त आवेदन पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा) नियम-2018" में यथा विहित समय-सीमा में ऐसे आवेदनों का निराकरण करेंगे।
18. आवेदक द्वारा नोडल एजेंसी के वेबपोर्टल - 'इन्वेस्ट' पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर ऑनलाइन "अभिस्वीकृति" प्रेषित करने की व्यवस्था की जाएगी।
19. समय-सीमा- आवेदकों द्वारा गतिशील संयुक्त आवेदन पत्र के अंतर्गत भाग "ख" एवं भाग "ग" में निर्धारित क्रमशः 'परियोजना स्थापना' एवं 'परियोजना संचालन' के लिए आवश्यक अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र के निराकरण के लिए संबंधित सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम की धारा-3 के तहत विभिन्न विभागों/ एजेंसियों हेतु निर्धारित समय-सीमा अथवा अधिकतम तीस दिवस (जो भी कम हो), की विहित समय-सीमा लागू होगी।

घोषणा

गतिशील संयुक्त आवेदन पत्र के साथ स्व-प्रमाणन की घोषणा

(आवेदक द्वारा यह घोषणा ऑनलाइन प्रस्तुत की जाना है)

1. हमारी फर्म/ कम्पनी, निर्माण/ सेवा उपलब्ध करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना स्थापित करना/ पूर्व से स्थापित परियोजना में विस्तार/ विविधिकरण/ तकनीकी उन्नयन करना प्रस्तावित कर रही है अथवा स्थापित परियोजना के लिए पूर्व से प्राप्त "अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति" के नवीनीकरण/ संशोधन कराने की वांछा रखते हैं।

2. हम प्रमाणित करते हैं कि गतिशील संयुक्त आवेदन- पत्र में दी गई विशिष्टियां हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य, सही हैं एवं पूर्ण हैं तथा हम उसके अधीन सेवाओं से संबंधित अधिनियमों/ नियमों में की गई घोषणाओं का पालन करने का वचन देते हैं। फर्म/ कम्पनी, यदि प्रस्तुत की गई विशिष्टियां असत्य/ गलत अथवा अपूर्ण पाए जाने पर एवं की गई घोषणाओं का पालन करने में असफल रहती है, तो फर्म/ कम्पनी मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 18(1) के अधीन उल्लेखित दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहेगी।
3. फर्म/ कम्पनी एतद् द्वारा वांछित सेवा हेतु "अनुमोदन/बाधा-निवारण/सहमति" से संबंधित अधिनियमों/ नियमों की विनिर्दिष्ट शर्तों के पालन करने तथा अपेक्षाओं/ निर्बाधन की शर्तों के अनुपालन में असफल रहने पर अथवा प्रत्याहरण/ निर्बाधन के रद्दकरण के फलस्वरूप संबंधित अधिनियमों/ नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विधिक परिणाम के लिये/ दांडिक कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी होंगे।
4. फर्म/ कम्पनी, हमारी परियोजना पर लागू समस्त संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन के समस्त उपबंधों का पालन करने का वचन देती है।

(आवेदक के डिजिटल हस्ताक्षर)

परिशिष्ट-1

वेद ऑनलाइन DYNAMIC CAF के प्रारूपों की विभागवार सूची

- (1) 'परियोजना स्थापना' के लिए आवश्यक अनुमोदन/बाधा- निवारण/ सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदनों के ऑनलाइन प्रारूप-
- (अ) पर्यावरण विभाग-
 - (1) स्थापना की सम्मति (जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के तहत)
 - (2) खतरनाक अपशिष्ट नियम 2016 के तहत प्राधिकार
- (ब) उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
 - (3) एकेव्हीएन द्वारा बिल्डिंग प्लान अनुमोदन
 - (4) एकेव्हीएन द्वारा जल कनेक्शन
- (स) नगरीय विकास एवं आवास विभाग
 - (5) अग्निशमन विभाग से अनापत्ति
- (द) उर्जा विभाग
 - (6) विद्युत कनेक्शन (एचटी)

- (2) 'परियोजना संचालन' के लिए आवश्यक अनुमोदन/बाधा- निवारण/ सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदनों के ऑनलाइन प्ररूप-
- (अ) खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
- (1) माप और तौल के निर्माता के रूप में लाइसेंस
- (ब) पर्यावरण विभाग-
- (2) संचालन की सम्मति (जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के तहत)
- (3) ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार
- (4) ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 की धारा 16 के तहत प्राधिकार
- (स) श्रम विभाग
- (5) फैक्टरी बिल्डिंग प्लान अनुमोदन
- (6) कारखाना अधिनियम 1948 के तहत फैक्टरी लाइसेंस
- (7) संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधान के तहत श्रमिकों के लिए ठेकेदार रखने की अनुमति
- (8) अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत स्थापना का पंजीकरण
- (9) बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार नियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996 के तहत पंजीकरण
- (10) संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधान के तहत मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण
- (11) म.प्र. दुकान और स्थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकान और वाणिज्यिक स्थापनाओं का पंजीकरण
- (द) उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
- (12) बॉयलर अधिनियम 1923 के तहत पंजीकरण
- (13) बॉयलर अधिनियम 1923 के तहत बॉयलर का स्थानांतरण
- (14) बॉयलर अधिनियम 1923 के तहत बॉयलरों का विनिर्माण
- (15) बॉयलर अधिनियम 1923 के तहत निर्माता/ मरम्मतकर्ता/ उत्पादक के रूप में काम करने का पंजीकरण

Online Dynamic CAF Form• **Pre Establishment Services****A. Department of Environment (MP Pollution Control Board)**

1. Consent to Establish (Under Water Act 1974 & Air Act 1981) / Consent to Operate (Under Water Act 1974 & Air Act 1981)
2. Authorization for Hazardous and other waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016

Application Form (Same for above mentioned services)

S. No.	Fields captured in the application form	Field Type	Mandatory / Optional
1.	Applicant's Name with Designation	Text	Mandatory
2.	Nationality	Text	Mandatory
3.	PAN CARD	Numeric	Mandatory
4.	Mobile no	Numeric	Mandatory
5.	Email Id	Text	Mandatory
6.	Industry Name :	Text	Mandatory
7.	Old Industry Name (if any)	Text	Mandatory
8.	Site Location Address with Survey/Plot/T.C No/Khasra No / Pin	Text	Mandatory
9.	Does it fall in: industrial estate, in notified area, in SIDC, I/A, not in any of these	Drop down (No of Fields – 4)	Mandatory
10.	DIC/SIA/IEM No/License No.	Alphanumeric	Mandatory
11.	District	Drop down	Mandatory
12.	Tehsil	Drop down	Mandatory
13.	Block	Text	Mandatory
14.	Latitude & Longitude	Two Text field	Mandatory
15.	Constitution Type	Drop down (No of Fields – 8)	Mandatory
16.	Regd. Office Address:	Text	Mandatory
17.	Phone, Fax & web site URL	Alphanumeric	Mandatory
18.	E- mail for official Correspondence	Text	Mandatory
19.	Industry Sector : Select	Drop Down (No of fields – 69)	R/O/G (Auto Generated)
20.	Project Cost (Investment in Gross fixed Assets, cost without depreciation) (Rs. in lakhs)	Numeric	Mandatory
21.	Investment in plant and machinery (Rs. in lakhs)	Numeric	
22.	Scale of industry (L/M/S)	Drop down	Mandatory
23.	Plant Commissioning /Production Date	Date (DD/MM/YYYY)	Mandatory
24.	Premises Area in Sq. meters	Numeric	Mandatory
25.	Built up Area / Open Area / Plantation Area (sq m)	Numeric	Mandatory
26.	Environmental Clearance	Check Box	Mandatory
27.	Directors' Name	Text	Mandatory
28.	Designation	Text	Mandatory
29.	Address + Phone No of director	Alphanumeric	Mandatory
30.	Mobile No of director	Numeric	Mandatory
31.	DIN (Director Identification No.)	Alphanumeric	Mandatory

32.	Application Type	Drop Down	Mandatory
33.	Application date	Date (Auto generated)	Mandatory
34.	Application under Air Act/Water Act/ Hazd. Waste Rules	Check box	Mandatory
35.	Explain the purpose of this application and any other relevant information to be mentioned in the A/W/H Form	Text	Mandatory
Information under Water Act :			
WC - Water Consumption / WWG - Waste Water Generation (KLS / DAY)			
36.	Water Code	Drop down(No of Fields -12)	Mandatory
37.	Water Source	Drop Down(No of Fields -13)	Mandatory
38.	Water Source	Text	Mandatory
39.	Water Consumption KL/Day	Numeric	Mandatory
40.	Waste Water Generation KL/Day	Numeric	Mandatory
41.	Remarks	Text	Mandatory
42.	Disposal Mode (IND)	Drop down(No of Fields - 14)	Mandatory
43.	Disposal Mode (Domestic)	Drop Down(No of Fields - 14)	Mandatory
44.	Point of Disposal Details (Land/River/Public Sewer/Recycle/ Any other)	Text	Mandatory
45.	Ultimate Final Body (Name the catchment of natural water course)	Text	Mandatory
46.	Discharge Point (Mention discharge point location)	Text	Mandatory
47.	Fresh WC Klpd [IND/DOM]	Numeric	Mandatory
48.	WWG Klpd [IND/DOM]	Numeric	Mandatory
49.	Tube wells/Bollers	Numeric (two fields)	Optional
50.	Bore wells/D.G Sets	Numeric (two fields)	Optional
51.	Capacity of Pumps(HP)	Numeric	Mandatory
52.	CETP / CSTP Membership	Drop down(No of Fields - 2)	Mandatory
53.	ETP Chamber	Drop Down(No of Fields - 70)	Mandatory
54.	Capacity	Numeric	Mandatory
55.	Units	Text	Mandatory
56.	Date of Commissioning	Date DD/MM/YYYY	
57.	STP Chamber	Drop Down(No of Fields - 70)	Mandatory
58.	Capacity	Numeric	Mandatory
59.	Units	Text	Mandatory
60.	Remarks	Text	Mandatory
61.	Emission Type	Drop down(No of Fields - 4)	Mandatory
62.	Stack Attached To	Drop Down (No of fields - 82)	Mandatory
63.	Ht-Mt	Numeric	Mandatory
64.	Remarks/Capacity	Text	Mandatory
65.	Stack Monitoring Facility (SMF)	Drop down (No of Fields -04)	Mandatory
66.	Fuel Used(e.g LDO, Coal, Wood)	Drop Down(No of Fields - 25)	Mandatory
67.	APC (As per consent)	Check box	
68.	Diameter(cm)	Numeric	Mandatory
69.	Consumption/Hour &Unit	Numeric	Mandatory
70.	Air Pollution Control Measures	Check Box Multiple selection (No of Fields - 27)	

71.	Waste Category	Drop down (No of Fields – 63)	Mandatory
72.	Waste Name	Dependent Drop down for point 70 (No of Fields – 421)	Mandatory
73.	Quantity/Year	Numeric	Mandatory
74.	Unit	Drop down	Mandatory
75.	As Per Consent (APC)	Check Box	Mandatory
76.	Management of Hazardous Waste Disposal	Check Box Multiple Selection	Mandatory
Raw Material & Product: (Multi Row)			
77.	Product Name	Text	Mandatory
78.	Unit	Drop down (No of Fields – 15)	Mandatory
79.	Applied Quantity	Numeric	Non Mandatory
80.	Remarks	Text	Non Mandatory
81.	As Per Consent (APC)	Checkbox	Non Mandatory
82.	Name of Main Raw Materials & Auxiliary Chemicals Used	Text	
83.	Unit	Drop down	
84.	Existing Quantity	Numeric	Non Mandatory
85.	Remarks	Text	Non Mandatory
86.	As Per Consent (APC)	Checkbox	Non Mandatory
Solid Waste (Do not Enter Hazardous Waste Details):			
87.	Waste Name	Text	Non Mandatory
88.	Quantity Per Month	Numeric	Non Mandatory
89.	Unit	Numeric	Non Mandatory
90.	Solid Waste Disposal	Multiple check box (No of Fields – 4)	Non Mandatory
91.	Solid waste collection	Multiple check box (No of Fields – 4)	Non Mandatory
92.	Remarks	Text	Non Mandatory

Documents Required

S No	Documents Required
1	Land allotment letter/land allotment LOI
2	Satellite imagery of project / industry site
3	Layout plan of the project/industry
4	Project report including complete details of manufacturing process / raw materials
5	NOC of Gram sabha / local body
6	Article of Association memorandum of Understanding
7	Compliance of Environment clearance conditions (If applicable)
Documents for Water Consent:	
1	Effluent/Sewage Treatment Plant
2	Technical Report on ETP/STP
3	Drawing of ETP/STP
4	Permission of CGWA (If applicable)
5	Water Cess returns (if applicable)
Documents for Air Consent:	
1	Technical Specification of Air Pollution Control Arrangements
2	Schematic Diagram of Monitoring Facility (Port Hole & Plate form with Spiral ladder)
Documents for Authorization for hazardous waste:	
1	Details of SLF/Incinerator (If applicable)
2	List of hazardous waste generated
3	Form – 4 & 13

B. Department of Industry Policy and Investment Promotion**3. Building Plan Approval by AKVN****Application Form**

S.No.	Fields	Data type	Mandatory / optional
1.	Name of applicant	Text	Mandatory
2.	Site area (Sqm)	Alphanumeric	Mandatory
3.	Total built up area (Sqm)	Numeric	Mandatory
4.	Address	Text	Mandatory
5.	Mobile	Text	Mandatory
6.	Email	Text	Mandatory
7.	Phone no.	Text	Mandatory
8.	Fax no.	Text	Mandatory
9.	Building no.	Alphanumeric	Mandatory
10.	Plot no. Or Khasra no.	Alphanumeric	Mandatory
11.	Colony / mohalla / bazar	Alphanumeric	Mandatory
12.	Village or Town	Alphanumeric	Mandatory
13.	Tehsil	Text	Mandatory
14.	District	Text	Mandatory
15.	Payment details	Text	Mandatory
16.	Engineer / architect	Text	Mandatory
17.	Engineer / architect license no	Alphanumeric	mandatory
18.	Whether land is diverted	Drop Down	Mandatory
19.	Purpose of construction	Alphanumeric	Mandatory
20.	Approval from Town and Country Planning Department (If Located outside Notified Industrial Area)	Drop Down	Mandatory

Documents Required

S.No	Enclosures
1	Required details (annex. A 2 to a 7) as prescribed in MPBVR – 2012
2	Copy of valid license of architect / engineer
3	Receipt of current year property tax
4	Copy of receipt of application fee, labour welfare fee, roof water harvesting fees and other fees prescribed by the competent authority
5	Key Plan/ Combines Site Plan & Layout Plan
6	Building Plans

— 4. Water Connection by AKVN
Application Form

S.No	Fields captured in the application form	Data type	Mandatory / optional
1.	Link for Terms and Conditions download (Please refer Annexure 2)	"I AGREE" Check Box	Mandatory
2.	Customer Name	Text	Mandatory
3.	Unit Name	Text	Mandatory
4.	Select AKVN	Drop down(No of Fields – 7)	Mandatory
5.	Industrial Area (Annexure 1)	Drop down(No of Fields – 88)	Mandatory
6.	Address	Numeric/Text	Mandatory
7.	Plot No.	Numeric	Mandatory
8.	Email	Alphanumeric	Mandatory
9.	Mobile Number	Numeric	Mandatory
10.	Date of Application	Calendar	Mandatory
11.	Office of-DTIC	Text	Mandatory
12.	Government Registration No	Numeric	Mandatory
13.	Registration Date	Calendar	Mandatory
14.	Water Requirement (Per Day) Minimum	Numeric	Mandatory
15.	Size of Water Connection Applied	Numeric	Mandatory
16.	Application Fees	Auto calculated	Mandatory
17.	Water Security Deposit (Rs)	Auto calculated	Mandatory
18.	Water Fee (Rs.)	Auto calculated	Mandatory
19.	Total (Amount to be paid in Rs.)	Auto calculated	Mandatory
20.	Possession Letter	Upload	Mandatory
21.	This is to certify that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief	"I ACCEPT" Check Box	Mandatory

Documents Required

S.No.	Enclosures
1	Possession Letter

C. Urban Development and Housing Department

5. NOC from Fire Department

Application Form

S.No	Fields captured in the Application Form	Data Type	Mandatory / Optional
Applicant Details			
1.	Title	Drop Down • Mr • Miss • Mrs • M/S	Mandatory
2.	First Name	Text	Mandatory
3.	Middle Name	Texts	Optional
4.	Last Name	Text	Mandatory
5.	Type of NOC	Provisional	Fixed
6.	Mobile No.	Numeric	Mandatory
7.	Telephone No.	Numeric	Mandatory
8.	E mail Address	Alphanumeric	Mandatory
9.	Application Date	Date (DD/MM/YYYY) (Auto-populate)	Mandatory
Address of Applicant			
10.	Address Line 1	Alphanumeric	Mandatory
11.	Address Line 2	Alphanumeric	Mandatory
12.	City	Text	Mandatory
13.	Select Your State	Dropdown	Mandatory
14.	Pin Code	Numeric	Mandatory
Address of Property			
15.	Address Line 1	Alphanumeric	Mandatory
16.	Address Line 2	Alphanumeric	Mandatory
17.	City	Text	Mandatory
Type of Occupancy			
18.	Select Your Occupancy	Dropdown(No of Fields – 12)	Mandatory
19.	Height of Building (in Meters)	Numeric	Mandatory
20.	Plot Area	Numeric	Mandatory
21.	Plot area unit	Dropdown(No of Fields – 3)	Mandatory

Documents Required - Mandatory

S.No.	Enclosures
1	Copy of Ownership Document (Lease Deed / Registry (Summarized copy) / Khasra)
2	Building Fire Plans (each floor), Elevation Plan of Building, Section Plan of Building
3	Copy of Certificate of Fire Consultant Qualification (If not listed in Department Website)
4	Checklist (53 Points) certified by the fire consultant , owner or authorized person as per rules
5	Copy of Approval letter and Approved Building plan (each floor) by competent Authority (Scanned in original size)
6	Copy of Approval letter and Approved layout plan (each floor) by competent Authority (Scanned in original size) Either 5 or 6

D. Energy Department**6. Energy Connection (HT)****a. DISCOMs****Application Form**

S.No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory / Optional
1.	Applicant Name	Text	Mandatory
2.	DOB	Date DDMMYYYY	Mandatory
3.	Aadhar Mobile No	Numeric	Optional
4.	Aadhar Email ID	Alphanumeric	Optional
5.	Aadhar No	Numeric	Mandatory
6.	Type of connection	Text (Auto Populated) • HT • LT	Mandatory
7.	Application Type	Drop down (Auto Populated)	Optional
8.	Type of Electric Connection	Boolean (Radio Button)	Mandatory
9.	Start Date (for Temporary connection)	Date DD/MM/YYYY	If electric connection = temporary
10.	End Date (for Temporary connection)	Date DD/MM/YYYY	If electric connection = temporary
11.	Category of Electric Connection	Drop Down (No of Fields - 11)	Mandatory
12.	Objective of Electric Connection	Drop Down (dependent, (No of Fields - 11)	Mandatory
	Connection address		
13.	Khasra / Plot No	Text	Mandatory
14.	CIRCLE	Drop Down	Mandatory
15.	Block	Drop Down	Mandatory
16.	Panchayat / Zone	Drop Down	Mandatory
17.	Ward / Village	Drop Down	Mandatory
	Communication address		
18.	Same as above	Check Box	Optional
19.	PIN code	Numeric	Mandatory
20.	State	Text	Mandatory
21.	District	Text	Mandatory
22.	Applicant / Firm Name	Text	Mandatory
23.	Name of Father/Husband/Manager/Partner	Text	Mandatory
24.	PAN card No	Alphanumeric	Mandatory
25.	TIN No (in case of Government Agency)	Alphanumeric	Optional
26.	Registration No of Firm	Alphanumeric	
27.	End Date of Registration	Date (DD/MM/YYYY)	Optional
28.	Bank Name	Drop Down	Mandatory(Optional for Gov Agency)
29.	IFSC Code	Alphanumeric	Mandatory(Optional for Gov Agency)

30.	Account No	Numeric	Mandatory(Optional for Gov Agency)
31.	Re-enter account number	Numeric	Optional
32.	Required Load (KVA)	Numeric	Mandatory
33.	Required Supply Voltage	Drop Down (No of Fields - 4)	Mandatory
34.	Contract Demand in phased manner	Drop Down (No of Fields - 2)	Mandatory
35.	If yes, mention contract demand (in KVA) From Date _____ To Date _____	Numeric	Optional

Documents Required

S.No.	Documents Required
1	Registration deed of Land
2	Partnership Deed / Proof of proprietor / certificate of registration of company

Pre Operation Services**A. Food, Civil Supplies & Consumer Protection Department****1. License as Manufacturers of Weights & Measures****Application Form**

S.No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory/Optional
1	Beneficiary's Aadhar Number	Numeric	Optional
2	Name of Applicant	Text	Mandatory
3	Father's/Husband's Name	Text	Mandatory
4	Gender	Dropdown (No of Fields -3)	Mandatory
5	Category	Dropdown (No of Fields - 6)	Mandatory
6	Email	Alphanumeric	Optional
7	Mobile No	Numeric	Optional
8	Address (House No/Mohalla)	Alphanumeric	Mandatory
9	District	Dropdown	Mandatory
10	Tehsil	Dropdown	Mandatory
11	Kshetra	Dropdown (No of Fields - 2)	Mandatory
12	Ward	Dropdown	Mandatory
13	Name of manufacturing concern for whom license is desired	Text	Mandatory
14	Premise Type	Radio Button (No of Fields - 3)	Mandatory
15	Complete address of the concern whether the land is owned/rented/on lease along with supporting documents	Alphanumeric	Mandatory
16	Date of establishment of workshop/factory	Date (DD/MM/YYYY)	Mandatory
17	Is this Limited Company (Yes/No)	Radio Button • YES = 01, • NO = 02	Mandatory
19a	Type (Proprietor/Partner/ Managing Director)	• Proprietor = 01, • Partner = 02, • Managing Director = 03	Mandatory
19b	Name	Text	Mandatory
19c	Father's/Husband's Name	Text	Mandatory
19d	Address	Alphanumeric	Mandatory
20	Current registration number of factory/shop/establishment/municipal trade license	Alphanumeric	Mandatory
21	Date of factory/shop/establishment/municipal trade license	DD/MM/YYYY	Mandatory
22	Nature of manufacturing activities at present	Alphanumeric	Mandatory
23a	The types of weights and measures proposed to be manufactured viz: Weights Details	Alphanumeric	Mandatory
23b	Measures Details	Alphanumeric	Mandatory
23c	Weighing instruments Details	Alphanumeric	Mandatory

23d	Measuring instruments Details	Alphanumeric	Mandatory
24a	The number of persons employed/proposed to be employed Skilled	Numeric	Optional
24b	Semi-skilled	Numeric	Optional
24c	Unskilled	Numeric	Optional
24d	Specialist trained in line	Numeric	Optional
25	The monogram/trademark intended to be imprinted on weights and measures to be manufactured	Alphanumeric	Mandatory
26	Details of machinery, tools, accessories owned and used for manufacturing weights and measures etc.	Alphanumeric	Mandatory
27	Details of foundry or workshop facilities arranged. Whether ownership or long term lease etc.	Alphanumeric	Mandatory
28	Facilities of steel casting and hardness testing of vital parts etc. Or other means	Alphanumeric	Mandatory
29	Availability of electrical energy	Alphanumeric	Mandatory
30	Whether any loan received from government or financial institution. If yes give details	Radio Button Yes = 01, No = 02	Mandatory
31a	Name of bankers	Text	Mandatory (if yes)
31b	Loan details	Alphanumeric	Mandatory (if yes)
32	GST number	Alphanumeric	Optional
33	Professional Tax registration Number	Alphanumeric	Optional
34	IT Number	Alphanumeric	Optional
35	Have you applied previously for a manufacturer's license? If yes when with what result.	Radio Button Yes = 01, No = 02	Mandatory
36a	Previously manufacturer's license date	Date DD/MM/YYYY	Mandatory (if yes)
36b	Previously manufacturer's license details	Alphanumeric	Mandatory (if yes)
37	Whether the items proposed to be manufactured will be sold	Radio Button (No of Fields - 3)	Mandatory
38	Details of Model Approval received from Government of India	Alphanumeric	Mandatory
39	(ii) When can you produce for inspection samples of your products for which license is desired (DD/MM/YYYY) *	Date DD/MM/YYYY	Mandatory

Documents Required

S.NO	Enclosure/Attachment	Mandatory/Optional
1	Scan Copy of Completely filled and signed self-declaration and Consent letter form	Mandatory
2	Model Approval Document from Govt. of India/Application submitted for model approval to Govt. of India	Mandatory
3	Scan Copy of PAN CARD	Mandatory
4	Scan Copy of AADHAR CARD	Mandatory
5	Scan Copy of Proof of Educational Qualification	Optional
6	Scan Copy of Certificate of Registration under Shops and Establishment Act.	Optional
7	Scan Copy of Electricity Bill of Premise	Optional
8	Scan Copy of Name and AADHAR No of all the workers/Employees engaged in Manufacturing.(Self Attested)	Optional
9	Scan Copy of Registration certificate from Industries department if registered as factory/Unit	Optional
10	Scan Copy of GST/Professional Tax Registration Number/IT Number	Optional

B. Department of Environment (MP Pollution Control Board)**2. Consent to Operate (Under Water Act 1974 & Air Act 1981)**

Application Form – Same as Consent to Establish (Under Water Act 1974 & Air Act 1981)

3. Authorization under E – Waste (Management) Rules, 2016

Application Form

S.No	Fields	Data Type	Mandatory/Optional
1.	Applicant Type	Text	Mandatory
2.	No. of workers	Numeric	Mandatory
3.	Dismantling or Recycling Process	Text	Mandatory
4.	Waste generation in processing e-waste	Text	Mandatory
5.	Provide details of disposal of residue	Text	Mandatory
6.	Name of Treatment Storage and Disposal Facility utilized for	Text	Mandatory
7.	Details of e-waste proposed to be procured from re-processing	Text	Mandatory
8.	Occupational safety and health aspects	Text	Mandatory
9.	Details of Facilities for dismantling both manual as well as mechanised	Text	Mandatory
10.	Details of storage for raw materials and recovered materials	Text	Mandatory
11.	Authorisation required for	Text	Mandatory
12.	Total quantity e-waste generated in MT/A	Numeric	Mandatory
13.	Quantity refurbished (applicable to refurbished)	Numeric	Mandatory
14.	Quantity sent for recycling	Numeric	Mandatory
15.	Quantity sent for disposal	Numeric	Mandatory
16.	Details of Storage Facilities	Text	Mandatory
17.	Details of Handling Facilities	Text	Mandatory
18.	Details of Treatment Facilities	Text	Mandatory
19.	Details of Refurbishing Facilities	Text	Mandatory
Multiple Records (E-waste Processed during Last 3 Years)			
20.	Year (last 3 Year Processed)	Text	Mandatory
21.	Product (last 3 Year Processed)	Text	Mandatory
22.	Quantity (last 3 Year Processed)	Numeric	Mandatory
Multiple Records (Installed Capacity)			
23.	Product Name (Installed Capacity)	Text	Mandatory
24.	Capacity (Installed Capacity)	Numeric	Mandatory
25.	Capacity Unit (Installed Capacity)	Text	Mandatory

Documents Required

S No	Enclosures
1	Copy of agreement with Collection Centre
2	Copy agreement with Producer
3	Details of storage for dismantled e-waste
4	Copy of agreement with Recycler
5	Details of Facilities for Recycling
6	Details of storage for raw materials and recovered materials

4. Authorization under Solid Waste Management Rules 2016
Application Form

S.No	Fields	Data Type	Mandatory/Optional
1.	Name of the local body/agency appointed by them/ operator of facility	Text	Mandatory
2.	Correspondence address	Text	Mandatory
3.	Telephone No.	Numeric	Mandatory
4.	Fax No.	Numeric	Mandatory
5.	e-mail	Alphanumeric	Mandatory
6.	Nodal Officer Name (Officer authorised by the local body or agency responsible for operation of processing/ treatment or disposal facility)	Text	Mandatory
7.	Nodal Officer Designation (Officer authorised by the local body or agency responsible for operation of processing/ treatment or disposal facility)	Text	Mandatory
8.	Authorisation required for setting up and operation of the facility (Please tick mark)	1. Waste Processing 2. Recycling 3. Treatment 4. Disposal at Landfill	Mandatory
Processing/recycling/treatment of solid waste			
9.	(i) Total Quantity of waste to be processed per day	Numeric	Mandatory
10.	(a) Quantity of waste to be recycled	Numeric	Mandatory
11.	(b) Quantity of waste to be treated	Numeric	Mandatory
12.	(c) Quantity of waste to be disposed into landfill	Numeric	Mandatory
13.	(ii) Utilisation programme for waste processed (Product utilisation)	Numeric	Mandatory
14.	(iii) Methodology for disposal (attach details)	Numeric	
15.	Quantity of leachate	Numeric	Mandatory
	Treatment technology for leachate		
16.	(iv) Measures to be taken for prevention and control of environmental pollution	Numeric	Mandatory
17.	(v) Measures to be taken for safety of workers working in the plant	Numeric	Mandatory
18.	(vi) Details on solid waste processing/recycling/treatment/disposal facility (to be attached)	Attachment	Mandatory
Disposal of solid waste			
19.	Number of sites identified	Numeric	Mandatory
20.	Quantity of waste to be disposed per day	Numeric	Mandatory
21.	Details of methodology or criteria followed for site selection (attach)	Attachment	Mandatory
22.	Details of existing site under operation	Numeric	Mandatory
23.	Methodology and operational details of landfilling	Numeric	Mandatory
24.	Measures taken to check environmental pollution	Text	Mandatory
25.	Any other information.	Text	Mandatory

Documents Required

S.No.	Enclosures
1.	Site clearance (local body)
2.	Proof of Environmental Clearance
3.	Consent for establishment
4.	Agreement between municipal authority and operating agency
5.	Investment on the project and expected return

C. Labour Department

5. Factory Plan approval under the Factories Act, 1948

Application Form

FORM-1 A			
Particulars of the drawings along with information is submitted according to the requirement of Rule 3-A			
S. No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory / Optional
Details of Applicant			
1	Name of Occupier	Text	Mandatory
2	Father's name	Text	Mandatory
Applicant's address on which he wants correspondence in this regard			
3	Address	Alphanumeric	Mandatory
4	State	Drop down	Mandatory
5	District	Drop down	Mandatory
6	Pin Code	Numeric	Mandatory
7	Mobile No	Numeric	Mandatory
8	E Mail ID	Alphanumeric	Mandatory
9	Aadhar No. & Passport (In case of Aadhar is not available with NRI)	Numeric	Mandatory
Full Name and address of the Factory			
10	Factory Name	Text (with special chars.)	Mandatory
11	Postal address of factory	Alphanumeric	Mandatory
12	District	Drop down	Mandatory
13	Division	Drop down	Mandatory
14	Pin Code	Numeric	Mandatory
Manufacturing Process			
15	To be carried (if new factory)/being carried (if exists) give description	Text	Mandatory
16	Whether it involves hazardous processes as interpreted under section 2 (cb) (give details)	Drop down In case of YES	Mandatory
17	Whether it involves any dangerous operation wholly or partly, as declared under sub-rule (1) of the rule 107 under section 87 (give details)	Drop down In case of YES	Mandatory
Workers Details			
18	No. of workers employed in every room in Factory	Numeric	Mandatory
Details of Machines			
19	Whether lifts/hoists/Lifting Machines of any kind Installed/ to be Installed in the plant. If yes, the same should be shown in drawing.	Drop down (No of Fields - 2)	Mandatory
Job Description			
20	Whether worker will be required to work at different floors or at a height from where he is likely to fall or work at a congested place due to machines or fittings or in a confined space, pit or sums?	Drop down (No of Fields - 2)	Mandatory
Escape of dangerous fumes / gases / fire or explosions details:			
21	Whether there is any possibility of escape of dangerous fumes / gases / fire or explosions?	Drop down (No of Fields - 2)	Mandatory
What materials are used / to be used for construction of			
22	Building (give details)	Text	Mandatory
23	Roofing (give details)	Text	Mandatory
Industry under Factory Act 1948			
24	Type of Factory	Drop down	Mandatory
25	No. of Workers expected	Drop down	Mandatory
Documents Required			
S.No.	Enclosures		
1.	Brief description of process along with List of Raw material with quantity to be used in manufacturing process		
2.	Drawings - As per rule 3-A of Madhya Pradesh Factories Rules, 1962, site plan drawn to scale not less than 1:500 and plan, elevation, cross section, of various buildings including all details relating to door, windows, ventilators, emergency exits, lay out of plant & machinery drawn to scale not less than 1:100. (Only upload pdf generated by AutoCAD software) Details of materials used for building construction and roofing.		

6. Factory License under the Factories Act, 1948
Application Form

FORM- 4 (Prescribed under Rule 6,7,8 & 10) Application for Registration and Grant or Renewal of License for the Year and notice of occupation in section 6 and 7			
S. No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory /Optional
Factory Details			
1	FAC No.	Numeric	Optional
2	Factory Name	Alphanumeric	Mandatory
3	LIN Number	Numeric	Optional (As per GOI directions)
4	Factory licence if already registered	Drop down 1. Yes 2. No If Yes License No	Mandatory
5	Application for the Registration of License for the Year	Drop down	Mandatory
Full Postal Address and situation of factory			
6	Address	Alphanumeric	Mandatory
7	District	Drop down	Mandatory
8	Division	Drop Down	Mandatory
9	Pin Code	Numeric	Mandatory
10	Whether Factory Address is same as communication address	Check Box *Yes *No	Optional
If 10 is no, Full Postal Address to which communication relating to factory should be sent			
11	Address	Alphanumeric	Mandatory
12	State	Drop down	Mandatory
13	District	Drop down	Mandatory
14	Pin Code	Numeric	Mandatory
Full name and residential address of the person who shall be the occupier of the factory for the purpose of the Act			
15	Full Name of the Occupier	Text	Mandatory
16	Father's Name	Text	Mandatory
17	Category of occupier	Drop down Proprietor / Partners in the Firm / Director of Company /others	Mandatory
18	Address	Alphanumeric	Mandatory
19	State	Drop down	Mandatory
20	District	Drop down	Mandatory
21	Pin Code	Numeric	Mandatory
22	Mobile No	Numeric	Mandatory
23	Email ID	Alphanumeric	Mandatory
24	Aadhar No. & Passport (in case of Aadhar is not available with NRI)	Numeric	Mandatory
Full name and residential address of the person who shall be the manager of the factory for the purpose of the Act			
25	Full Name of the manager	Text	Mandatory

26	Father's Name	Text	Mandatory
27	Address	Alphanumeric	Mandatory
28	State	Drop down	Mandatory
29	District	Drop down	Mandatory
30	Pin Code	Numeric	Mandatory
31	Mobile No	Numeric	Mandatory
32	Email ID	Alphanumeric	Mandatory
33	Aadhar No.	Numeric	Mandatory
Full name and residential address of the owner of the premises or building (including the precincts thereof) referred to in Section 93 of the Act			
34	Full Name of the Owner	Text	Mandatory
35	Father's Name	Text	Mandatory
36	Address	Alphanumeric	Mandatory
37	State	Drop down	Mandatory
38	District	Drop down	Mandatory
39	Pin Code	Numeric	Mandatory
40	Mobile No	Numeric	Mandatory
41	Email ID	Alphanumeric	Mandatory
42	Aadhar No. & Passport (in case of Aadhar is not available with NRI)	Numeric	Mandatory
Nature of manufacturing process or processes			
43	Carried on in the factory in the last 12 months (In case of factories already in existence)	Text	Optional
44	to be carried on in the factory during the next 12 months (In the case of all factories)	Text	Mandatory
45	Whether it involves hazardous processes as interpreted under Section 2 (cb) give details	Drop down In case of YES	Mandatory
46	Whether it involves any dangerous operation wholly or partly, as declared under sub-rule (1) of the rule 107 under section 87 (give details)	Drop down In case of Yes	Mandatory
47	Whether any chemical substance as specified under second schedule of the Act is used, handled, stored or processed thereat	Drop down 1. Yes 2. No	Mandatory
Worker Details			
48	Fee Schedule Applicable	Drop down Schedule A- Schedule B- Schedule C-	Mandatory
49	Maximum Number of worker proposed to be employed on any one day during the year	Drop down (No of Fields - 26)	Mandatory
50	Maximum Number of workers employed on any one day during the last twelve months (in case of factories already in existence)	Drop down (No of Fields - 26)	Optional
51	Number of workers to be ordinarily employed in the Factory	Numeric	Mandatory
Nature and total amount of powers (HP)			
52	Installed Machinery Power in Horse Power	Drop Down : For Schedule A Schedule B Schedule C	Mandatory
Reference numbers(s) and date (s) of approval of plans under rule 3-A of M.P factories Rules 1962 by chief Inspector of factories, MP (in case of factories already in existence)			
53	Reference Number(s)	Numeric	Optional
54	Date of Approval	Date (DD/MM/YYYY)	Optional

Documents required- in case of New Licence

S No	Documents Required
General documents: For Non - Hazardous & Hazardous Category	
1	Proof of Ownership/possession of Premises (Sale Deed/Rent Deed/Lease Deed eTc.)
2	Proof of being Occupant(Proprietor / Partners in the Firm / List of Director of Company + Memorandum & Article of Associations)
3	Stability certificate Form no.-2 issued by a competent person
4	Copy of self cess assessment Form-1 under BOCW Act, 1996
Additional documents: For Hazardous Category	
1	Proof of submission of On-Site Emergency Plan.
2	If Pressure vessels and lifting machines are installed, Test Report issued by Competent Persons in case of solvent plants - Plant fitness certificate and operator fitness certificate Issued by a competent person is also required.
3	A copy of Bill issued by Madhya Pradesh Electricity Board as a proof for installed horse power
4	Name & Max Quantity of Chemicals & Raw Material to be used and stored in premises.

7. Permission for engaging Contract Labour by a Contractor under provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 - (Licensing of Contractor)

Application Form

S. No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory / Optional
Contractor Information			
1 (i)	Name of Contractor / Contractor Establishment	Text	Mandatory
(ii)	Name of father / husband (if Contractor is Individual)	Text	Mandatory
2	Address	Alphanumeric	Mandatory
3	PIN Code	Numeric	Mandatory
4	Telephone no	Numeric	Mandatory
5	E mail ID	Alphanumeric	Mandatory
6	Mobile Number	Numeric	Mandatory
7	District	Drop down	Mandatory
8	Nearest Labour Office in the District (Issuing Office)	Drop down	Mandatory
9	Aadhar No. (if Contractor is Individual)	Numeric	Mandatory
10	Date of Birth (if Contractor is Individual)	Date (DD/MM/YYYY)	Mandatory
Applicant Details (Applicant Information- if applicant is other than Contractor) Boolean			
11	Name of Applicant	Text	Mandatory
12	Father's / Husband's Name	Text	Mandatory
13	Designation (applicant's status in the firm)	Drop down (No of Fields - 5)	Mandatory
14	Applicant's address for Correspondence	Alphanumeric	Mandatory
15	Mobile Number	Numeric	Mandatory
16	E mail ID	Alphanumeric	Mandatory
17	Aadhar No.	Numeric	Mandatory
18	Date of Birth	Date (DD/MM/YYYY)	Mandatory

Details of Principal Employer / particulars of establishment / Institution to whom contractor supplies contract labour			
19	Name of PE Establishment	Text	Mandatory
20	Address of PE Establishment	Text	Mandatory
21	Certificate of registration for establishment (Principal Employer file number)	Alphanumeric	Optional
22	Date of Registration	Date (DD/MM/YYYY)	Optional
23	Issuing office	Drop down	Mandatory
24	Name of the Owner / Occupier / Director / Manager who is responsible for the affairs of employment of Contract Labour in PE Establishment	Text	Optional
25	Address of the Responsible person PE	Text	Optional
26	Mobile no.	Alphanumeric	Optional
27	Email-ID	Alphanumeric	Optional
Specifications of Contract Workers			
28	Nature of the work for which contract labour is employed in the establishment	Text	Mandatory
29	Maximum number of contract workers to be employed	Numeric	Mandatory
30	Proposed start date of contract work	Date (DD/MM/YYYY)	Mandatory
31	Proposed end date of contract work	Date (DD/MM/YYYY)	Mandatory
32	Contractor's Agent or Manager's Name	Text	Optional
33	Address of the Agent or Manager	Alphanumeric	Optional
Other Details			
34	Has the contractor been convicted of any crime in the last five years?	Boolean	Mandatory
35	If yes, then details	Text	In case of Yes
36	Was there any order to cancel or suspend the license against the contractor or forfeiture of the security deposit ever?	Boolean	Mandatory
37	Date of Order	Date (DD/MM/YYYY)	In case of YES
38	Has the contractor worked in any other establishment during last five years?	Boolean	Mandatory
39	Name of the Principal Employer	Text	In case of YES
40	Establishment's Name	Text	In case of YES
41	Nature of Work	Text	In case of YES
Documents Required			
S No	Documents Required		
1	Passport size photograph of Applicant (JPG)		
2	Copy of any one photo Identify of applicant Voter ID/ Aadhar/ Driving License/ Passport or PAN card (PDF Format)		
3	Certificate in Form V issued by Principal Employer under Rule 21 (2) of Permission for engaging contractor for contract labour under provision of The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970		

8. Registration of Principal Employer Establishment under the Inter-state Migrant Workers Act, 1979

Application Form

S. No.	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory / Optional
Establishment Details			
1	Name of Establishment (English)	Text	Mandatory
2	Name of Establishment (Hindi)	Text	Mandatory
3	Address	Alphanumeric	Mandatory
4	PIN CODE	Numeric	Mandatory
5	Telephone No.	Numeric	Mandatory
6	Fax No.	Numeric	Optional
7	E Mail ID	Alphanumeric	Mandatory
8	District	Drop Down	Mandatory
9	Issuing Office	Drop Down	Mandatory
10	Nature of work carried on in the Establishment	Text	Mandatory
Applicant Details			
11	Name of Applicant	Text	Mandatory
12	Father's/ Husband Name	Text	Mandatory
13	Status of Applicant	Drop Down (No of Fields - 5)	Mandatory
14	Mobile No.	Numeric	Mandatory
15	E Mail ID	Alphanumeric	Mandatory
16	Aadhar No.	Numeric	Mandatory
Principal Employer Details (not applicable if applicant & Principal Employer are same)			
17	Name of Principal Employer	Text	Mandatory
18	Address	Text	Mandatory
19	Mobile No.	Numeric	Mandatory
20	E Mail ID	Alphanumeric	Mandatory
Manager Details (not applicable if applicant & manager are the same)			
21	Manager Name	Text	Mandatory
22	Manager Father / Husband Name	Text	Mandatory
23	Manager Mobile No.	Numeric	Mandatory
24	Email ID	Alphanumeric	Mandatory
Particulars of ALL CONTRACTORS and ISM worker employed by them (Multiple entries populated in grid)			
25	Name of Contractor	Text	Optional
26	Address	Text	Optional
27	Nature of Work	Text	Optional
28	Nature of work to be carried by the contractor in Establishment	Text	Optional
29	Maximum no. of contract labour to be employed in any day by this Contractor	Numeric	Optional
30	Estimated Date of Termination of employment of contract labour	Calendar	Optional
+ADD CONTRACTOR			

Documents Required

S No	Documents Required
1.	Passport size photograph of Applicant (JPG)
2.	Photo Identity Proof of applicant - (Voter ID, Aadhar, Driving License, Passport, PAN Card (any one))
3.	Copy of any one for address / place proof of Principal Employer / Contractor Establishment Rent agreement, Electricity Bill Telephone Bill, Ownership deed, Partnership deed, Memorandum of Association
4.	Copy of Contract in case of Partnership firm and Copy of Memorandum of Association in case of Limited company

**9. Registration of Establishments under the Building and Other Construction Workers
(Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996**

Application Form

S.No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory / Optional
Establishment Details			
1	Name of Establishment (English)	Text	Mandatory
2	Name of Establishment (Hindi)	Text	Mandatory
3	Present Address of Establishment	Alphanumeric	Mandatory
4	Pin Code	Numeric	Mandatory
5	Permanent Address (If Any)	Alphanumeric	Optional
6	Pin Code	Numeric	Optional
7	Complete Address of the place of construction	Text	Mandatory
8	Telephone No.	Numeric	Mandatory
9	Fax No.	Numeric	Optional
10	Email Id*	Alphanumeric	Mandatory
11	District*	Drop Down	Mandatory
12	Nearest Labour in the District (Issuing Office)	Drop Down	Mandatory
Applicant/ Employer Details			
13	Name of Applicant	Text	Mandatory
14	Father's / Husband's Name	Text	Mandatory
15	Address	Text	Mandatory
16	Status of Applicant	Drop down(No of Fields – 4)	Mandatory
17	Email ID	Alphanumeric	Mandatory
18	Aadhar	Numeric	Mandatory
19	Mobile No.	Numeric	Mandatory
Details of Manager / person responsible for supervision & control of establishment			
20	Manager Name	Text	Mandatory
21	Manager Father/Husband Name	Text	Mandatory
22	Address	Alphanumeric	Mandatory
23	Manager Mobile no.	Numeric	Optional
24	Email ID	Alphanumeric	Optional
Work Details			
25	Estimated Date of Commencement of Work	Date (DD/MM/YYYY)	Mandatory
26	Estimated Date of Completion of work	Date (DD/MM/YYYY)	Mandatory
27	Maximum number of labour to be employed in any day	Drop down	Mandatory

Documents Required

S No	Documents Required
1.	Passport size photograph of Applicant (JPG)
2.	Copy of Applicant photo ID (any one voter ID, Aadhar card, Driving License, either Passport or PAN) (in PDF Format)
3.	For the authentication of Construction Establishment place and address copy of any one Rent Agreement Telephone bill Electric payment Ownership deed Partnership deed Memorandum of Association
4.	Copy of contract in case of partnership firm OR In case of Company Ltd copy of memorandum of association (PDF Format)

10. Registration of Principal Employer Establishment under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970

Application Form

S.No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory / Optional
Establishment Details			
1	Name of Establishment (English)	Text	Mandatory
2	Name of Establishment (Hindi)	Text	Mandatory
3	Address	Alphanumeric	Mandatory
4	Pin code	Numeric	Mandatory
5	Telephone No.	Numeric	Mandatory
6	Fax No	Numeric	Optional
7	Aadhar No (in case of person)	Numeric	Mandatory
8	Email Id	Alphanumeric	Mandatory
9	District	Drop down	Mandatory
10	Nearest Labour Office in the District	Drop Down	Mandatory
11	Nature of work carried on in the Establishment	Drop Down	Mandatory
Applicant's Details			
12	Name of Applicant	Text	Mandatory
13	Father's / Husband's Name	Text	Mandatory
14	Status of Applicant in the Establishment	Drop down	Mandatory
15	Mobile No.	Numeric	Mandatory
16	Email Id	Alphanumeric	Mandatory
17	Aadhar No	Numeric	Mandatory
:: Principal Employer Details ::			
18	Name of Principal Employer	Text	Mandatory
19	Address	Alphanumeric	Mandatory
20	Mobile No.	Numeric	Mandatory
21	Email Id	Alphanumeric	Mandatory
Manager Details (not applicable if applicant is manager himself)			
22	Manager Name	Text	Mandatory
23	Manager Father/Husband Name	Text	Mandatory
24	Address	Alphanumeric	Mandatory
25	Manager Mobile no.	Numeric	Mandatory
26	Email Id	Alphanumeric	Mandatory
27	Aadhar No	Numeric	Mandatory
Particulars of all Contractors and Contract Labour employed by them (Multiple values captured in a Grid)			
28	Name of Contractor	Text	Optional
29	Address	Alphanumeric	Optional
30	Nature of Work for which Contract Labour is engaged.	Text	Optional
31	Maximum number of contract labour to be employed on any day by this contractor	Drop down	Optional
32	Proposed date of Termination of	Date (DD/MM/YYYY)	Optional

	Contract		
33	+ADD CONTRACTOR		

Documents Required

S No	Documents Required
1.	Passport size photograph of Applicant (JPG)
2.	Copy of Applicant photo ID (any one voter ID, Aadhar card, Driving License; either r Passport or PAN) (in PDF Format)
3.	For the authentication of place and address of establishment copy of any one • Rent Agreement • Telephone bill • Electric payment • Ownership deed* • Partnership deed* • Memorandum of Association* (*If these documents have many pages than scan and upload only consistent information pages only in PDF format)
4.	Copy of contract in case of partner in partnership firm and Copy of memorandum of association in case of Limited company.(PDF Format)

11. Registration of Shops and Commercial Establishments under MP Shops and Establishments Act, 1958

Application Form

S.No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory / Optional
Applicant Details			
1	Name of Applicant	Text	Mandatory
2	Father's / Husband's Name	Text	Mandatory
3	Applicant's Status in the Shop/ Establishment	Drop down	Mandatory
4	Labour Identification Number (LIN)	Numeric	Optional
5	Date of Birth (DD/MM/YYYY)	Date (DD/MM/YYYY)	Mandatory
6	Address of Applicant	Text	Mandatory
7	Mobile No	Numeric	Mandatory
8	Email Id	Alphanumeric	Mandatory
9	Aadhar No.	Numeric	Mandatory
Family Members / Other Partners involved in the business [Multiple Entries Added to a Grid]			
10	Name of Family Member / Other Partner	Text	Optional
11	Designation	Text	Optional
12	Address	Text	Optional
	[[Add more]] ~ Button to add more members)		
Shop / Establishment Details			
13	Name of Shop / Establishment	Text	Mandatory
14	Address	Text	Mandatory
15	District	Drop Down	Mandatory
16	Issuing Office / Nearest Labour Office in the District	Drop Down	Mandatory

17	Category of Shop/Establishment	Drop down(No of Fields – 4)	Mandatory
18	Business Type	Drop Down Dependent on Category of Shop/ Estb.	Mandatory
19	Shop Type (Employee Wise)	Drop down (No of Fields – 4)	Mandatory
20	Day of Weekly Off	Drop down (No of Fields – 8)	Mandatory
21	Owner Type	Drop Down 1. Proprietorship 2. Partnership 3. Limited Firm	Mandatory
22	Business Start Date	Date (DD/MM/YYYY)	Mandatory
23	No. of Years for Registration	Numeric '5'	
Manager and Employees Details			
24	Manager Name	Text	Mandatory
25	Manager Father/Husband Name	Text	Mandatory
26	Date of Birth(DD/MM/YYYY)	Date (DD/MM/YYYY)	Mandatory
27	Manager Mobile no.	Numeric	Mandatory
28	Address	Alphanumeric	Mandatory
29	Number of Employees, Male and	Numeric	Mandatory

	Female.	Male [Nos] Female [Nos]	
30	Name of Account/ Business Executive	Text	Mandatory
31	Address of Account/ Business Executive	Text	Mandatory

Documents Required

S.No	Documents Required
1.	Passport size photograph of Applicant (JPG)
2.	Copy of Applicant photo ID (any one voter ID, Aadhar card, Driving License, either Passport or PAN) (in PDF Format)
3.	For the authentication of place and address of shop & establishment copy of any one (PDF) Rent Agreement ,Telephone bill ,Electric payment ,Ownership deed*,Partnership deed* Memorandum of Association*(*If these documents have many pages than scan and upload only consistent information pages only in PDF format)
4.	Photograph of shop/ establishment in which name panel is visible. (JPG/ PDF format)
5.	Partnership deed / MOU (PDF) - In case of Company / Partnership firm

D. Department of Industry Policy and Investment Promotion**12. Registration under Boiler Act, 1923****Application Form**

S.No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory/ Optional
1	Type of Registration	Radio button • Boiler • Small Industrial boiler • Economiser	Mandatory
2	Type of Boiler	Drop down (No of Fields – 5)	Mandatory
3	Total Heating Surface Area (Sq mt.)	Numeric	Mandatory
4	Name of Manufacturer	Alphanumeric	Mandatory
5	Boiler / Economiser Works Number	Alphanumeric	Mandatory
6	Manufacturing place	Alphanumeric	Mandatory
7	Manufacturing year	Numeric	Mandatory
8	Maximum Evaporation (Tonne/Hr)	Numeric	Mandatory
9	Maximum Working Pressure (Kg/cm ²)	Numeric	Mandatory
10	Power generation in MW	Numeric	Mandatory
11	Maximum Working Temperature in °C	Numeric	Mandatory
12	Piping Involved	Drop down (No of Fields – 2)	Mandatory

Documents Required

S.No	Documents Required
1	IBR Certificate form : II (1) or II (2)
2	Form III
3	Form III C
4	Form IVA
5	Form VII
6	Form VIII
7	Form XVII
8	Steam pipe line Drawing Duly Signed by Owner
9	Registration Certificate of Contractor
10	Certificate of Welder
11	Details of Supervisor

13. Transfer of Boiler under Boiler Act 1923
Application Form

S.No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory/ Optional
1	Type of Registration	Radio button (No of Fields – 2)	Mandatory
2	Registration number	Alphanumeric	Mandatory
3	Type of Boiler	Drop Down (No of Fields – 5)	Mandatory
4	Total Heating Surface Area (Sq mt.)	Numeric	Mandatory
5	Name of Manufacturer	Alphanumeric	Mandatory
6	Manufacturing place	Alphanumeric	Mandatory
7	Manufacturing year	Numeric	Mandatory
8	Maximum Evaporation (Tonne/Hr)	Numeric	Mandatory
9	Maximum Working Pressure (Kg/cm ²)	Numeric	Mandatory
10	Power generation in MW	Numeric	Mandatory
11	Maximum Working Temperature in °C	Numeric	Mandatory
12	Piping Involved	Drop down (No of Fields – 2)	Mandatory

Documents Required

S.No	Documents Required
1	Form 2D
2	Steam pipe line drawing duly signed by Owner
3	Registration certificate of Contractor
4	Certificate of Welder
5	Details of Supervisor

14. Manufacturing of Boilers under Boilers Act 1923**Application Form**

S.No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory/ Optional
1	Name of Firm	Alphanumeric	Mandatory
2	Firm Type Drop down. In addition to CAF (HUF/Society/Department Undertaking)	Drop Down(Additional No of Fields – 4)	Mandatory
3	PAN	Alphanumeric	Mandatory
4	TAN	Alphanumeric	Optional
5	EPFO Registration	Alphanumeric	Optional
6	ESI Registration	Alphanumeric	Optional
7	Telephone	Numeric	Mandatory
8	Fax	Numeric	Optional
9	Website URI	Alphanumeric	Optional
10	Official Email Id	Alphanumeric	Optional
11	Block No/ House No/ Plot No	Alphanumeric	Mandatory
12	Road/Street/Land	Alphanumeric	Mandatory
13	Area/Locality	Alphanumeric	Mandatory
14	Pin code	Numeric	Mandatory
15	District	Drop Down	Mandatory
	Board Member Detail (Add button required in case of more than 1 member , for rows to be added) optional , Service Specific		
16	Members Name	Text	Mandatory
17	Gender	Drop Down(No of Fields – 3)	Mandatory
18	Category	Drop Down (No of Fields 6)	Mandatory
19	Knowledge level	Drop Down(No of Fields 6)	Mandatory
20	Equity Participation (in rupees)	Numeric	Mandatory
21	Equity Participation (in %)	Numeric	Mandatory
	Contact Person Details		
22	Representative Name	Text	Mandatory
23	Mobile Number	Numeric	Mandatory
24	Aadhaar Number	Numeric	Optional
25	Email	Alphanumeric	Mandatory

Documents Required

S.No.	Documents Required
1	Drawing
2	Certificate of Welder
3	Registration Certificate

**15. Registration & Renewal under Boiler Act 1923 to work as Manufacturer/Repairer/Erector
Application Form**

S.No	Fields captured in the application form	Data Type	Mandatory/ Optional
1	Application for (multiple selection are allowed)	Check Box - Manufacturer - Repairer - Erector	Mandatory
2	Class	Drop Down - Special Class - Class I - Class II - Class III	Mandatory

Documents Required

S.No	Documents Required
1	Form XVIII :
2	Details of Machinery :
3	Details of Manpower :
4	Details of Employed Welders :
5	Registration Certificate :
6	Details of Workshop :
7	Details of Power(Electricity) :

उक्त नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 3-3-2017-बासठ

भोपाल, दिनांक 21 जून 2018

राज्य शासन विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों की निःशुल्क "रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना वर्ष 2017-18" की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है।

प्रस्तावना:- शासकीय एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा एवं नियोजन की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के शिक्षित अभ्यर्थियों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा विविध रोजगारमूलक परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये कम्प्यूटर एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा संघ/लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा, राज्य शासन के प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड/केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग/ आई.बी.पी.एस./रेल्वे/अन्य समकक्ष संस्थाओं द्वारा विभिन्न क्षेणी के पदों की पूर्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ, विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा यथा- जे.ई.ई. मेन्स एवं एडवान्स, ए.आई.पी.एम. टी./एन.ई.ई.टी., क्लेट.सी.ए. इत्यादि एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न एक वर्षीय (कम्प्यूटर से संबंधित रोजगारोन्मुखी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम साथ में एकीकृत व्यक्तित्व विकास) पाठ्यक्रम हेतु तैयार करने एवं निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों एवं अन्य प्रमुख जिलों में निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। जिससे की प्रदेश के विमुक्तघुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के युवक-युवतियों को विशेषकर बालिकाओं को अपने गृह जिले/निकटतम जिले में प्रशिक्षण की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रारम्भ में इन केन्द्रों का संचालन अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त कुशल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किया जायेगा।

2. उद्देश्य:- प्रदेश के प्रमुख शिक्षा केंद्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य विमुक्तधुमकड एवं अर्द्धधुमकड जनजाति के शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियोजन की मांग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा राज्य लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र की सेवाओं के अतिरिक्त केन्द्र/राज्य शासन द्वारा आयोजित विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक विषयों की प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं आदि की तैयारी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के विविध एक वर्षीय रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर से संबंधित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों हेतु निःशुल्क एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर अभ्यर्थी रोजगार में स्थापित हो सके, एवं आत्म निर्भर बन सकें।

2 (ए) बजट:- राज्य शासन द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग को उपलब्ध की जाने वाली बजट राशि का उपयोग योजना नियमों के अनुसार किया जायेगा।

3. प्रशिक्षण की रूप रेखा :-

3.1 प्रशिक्षणदाता संस्थानों के चयन हेतु पात्रता मापदण्ड :- योजनांतर्गत निम्नलिखित योग्यताधारी संस्थाएँ वित्तीय अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगी :-

3.1 (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु राज्य में स्थित यू.जी.सी. एवं राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा प्रशिक्षण संस्थान।

3.1 (2) प्रशिक्षण संस्था अथवा विशेषज्ञ संस्थान में से किसी एक संस्थान का पंजीयन सोसाईटी/ट्रस्ट/भागीदार फर्म/ प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में 05 वर्ष पूर्व का होना आवश्यक है।

3.1 (3) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के क्षेत्र में उच्च सफलता दर प्रदर्शित करने वाले एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शासकीय विभागों में कोचिंग के क्षेत्र में अनुभवधारी प्रशिक्षण संस्थाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

3.1 (4) प्रशिक्षण योजना अंतर्गत ग्रुप ए, बी एवं सी अंतर्गत प्रशिक्षण की प्रकृति भिन्न-भिन्न होने से किसी एक ग्रुप के प्रशिक्षण हेतु अनुभवी संस्थाएँ अन्य ग्रुप के प्रशिक्षण हेतु अन्य उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थानों से अनुबंध कर प्रशिक्षण कार्य संचालित कर सकती हैं, परन्तु आवेदक प्रशिक्षण संस्थाओं को किसी एक ग्रुप के प्रशिक्षण कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

3.1 (5) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु आर्थिक रूप से सक्षम प्रशिक्षण संस्था तथा उत्कृष्ट विशेषज्ञ संस्थान के मध्य अनुबंध के आधार पर किया जा सकता है। सक्षम होने की दशा में प्रशिक्षण संस्थान/उत्कृष्ट विशेषज्ञ संस्थान स्वयं भी पात्र होंगे।

3.1 (6) सुसज्जित अधोसंरचना :- प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त अधोसंरचना एवं सहायक उपकरण इत्यादि की उपलब्धता होना आवश्यक है तथा प्रशिक्षण हेतु संस्था के पास न्यूनतम 5000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल आवश्यक हैं।

3.1 (7) अनुभवी एवं योग्य फेकल्टी :- संस्था के पास प्रशिक्षण के विषय में केंद्र/राज्य शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारक एवं अनुभवी फेकल्टी का होना आवश्यक है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रशिक्षकों को पृथक से नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।

3.1 (8) पेय जल एवं शौचालय व्यवस्था :- प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षणार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था एवं महिला-पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के लिए पृथक से पर्याप्त संख्या में शौचालयों का होना आवश्यक हैं।

3.1 (9) समृद्ध लायब्रेरी/कम्प्यूटर :- प्रशिक्षण संस्थान के पास नवीन संस्करणों की पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण के विषय से संबंधित पर्याप्त पुस्तकों की अद्यतन समृद्ध लायब्रेरी एवं नवीन कम्प्यूटर इत्यादि का होना आवश्यक है।

3.1 (10) संस्था का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना :- प्रशिक्षण संस्थान आर्थिक रूप से सक्षम हो एवं विभाग द्वारा जारी की जाने वाली अनुदान राशि की उपलब्धता में विलम्ब होने की दशा में स्वयं के संसाधनों से प्रशिक्षण कार्य संचालित करने में सक्षम हो। आवेदक प्रशिक्षण संस्था अथवा विशेषज्ञ संस्था का विगत 05 वर्षों का औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष रुपये 50.00 लाख रुपये होना अनिवार्य होगा।

3.1 (11) सफलता/प्लेसमेंट की स्पष्ट कार्य योजना :- प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट की स्पष्ट एवं व्यवहारिक कार्य योजना प्रशिक्षण संस्थान के पास उपलब्ध हो ।

3.2 प्रशिक्षण संबंधी अन्य आवश्यक शर्तें/मापदण्ड:-

3.2(1) कंडिका 03 में वर्णित अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों का चयन विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित कर विभाग द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से निर्धारित मापदण्डों के अधीन प्रारंभिक 02 वर्षों के लिए किया जाएगा इसके उपरान्त प्रशिक्षण संस्थानों की सफलता दर तथा उनके द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम के गुण दोष के आधार पर विभाग द्वारा आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु निर्णय लिया जाएगा।

3.2(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास का पाठ्यक्रम का अध्यापन, व्यवहारिक कम्प्यूटर ज्ञान एवं कैरियर गाईडेंस का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

3.2(3) प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति उपरांत विभाग को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा जाएगा जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य, उपलब्धि एवं सफलता की दर, वार्षिक वित्तीय लेखों का विवरण, दी गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि सम्मिलित होंगे।

3.2(4) प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्थानों के कार्य, प्रशिक्षण की गुणवत्ता सफलता की दर की समीक्षा विभाग द्वारा की जाकर आगामी वर्ष हेतु इनकी निरंतरता के संबंध में निर्णय लिया जावेगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं सफलता की दर संतोष जनक न होने की स्थिति में एकतरफा अनुबंध निरस्त करने एवं निर्धारित ब्याज सहित दी गई अनुदान राशि वसूल करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

3.2(5) योजनांतर्गत प्रशिक्षण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शैक्षणिक रूप से योग्यताधारी एवं अनुभवी अतिथि अध्यापक के चयन की जिम्मेदारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थान की होगी एवं अतिथि अध्यापक का मानदेय का निर्धारण प्रशिक्षण शुल्क की राशि से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाएगा।

3.3 चयन समिति का गठन:-

प्रशिक्षण संस्थानों का चयन विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित कर मुख्यालय स्तर पर निम्नानुसार चयन समिति गठित कर किया जावेगा:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन विमुक्तधुमक्कड एवं अर्द्धधुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग- अध्यक्ष।

2. म.प्र. शासन उच्च/तकनीकी शिक्षा विभाग के नामांकित प्रतिनिधि-सदस्य
3. संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास, म0प्र0 भोपाल-सदस्य
4. संचालक राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भदभदा रोड़, भोपाल- सदस्य
5. उप संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास, भोपाल,- सदस्य

3.4 अभ्यर्थियों के चयन के मापदण्ड:-

योजना अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:-

3.4(1) विमुक्तघुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन समाचार-पत्रों में/वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कर एवं उनसे आवेदन प्राप्त कर, मेरिट के आधार पर स्थानीय स्तर पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु गठित समिति के माध्यम से किया जावेगा।

3.4(2) असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन पंजीकृत श्रमिक वर्ग के परिवार के सदस्यों से किया जाएगा।

3.4(3) अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम हायर सेकेण्डरी अथवा संबंधित प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार होगी।

3.4(4) अभ्यर्थी को वांछित पाठ्यक्रमों/भर्ती परीक्षाओं में दाखिले के लिए निर्धारित अर्हक परीक्षा में अंकों की अपेक्षित प्रतिशतता प्राप्त की होनी चाहिए।

3.4(5) योजना अंतर्गत म0प्र0 के मूल निवासी, विमुक्तघुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी/छात्र पात्र होंगे, जिनके परिवार की समस्त स्रोतो से वार्षिक आय भारत सरकार द्वारा विमुक्त वर्ग के लिए निर्धारित क्रीमिलेयर की सीमा से अधिक न हो।

3.4(6) असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के लिए परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय की सीमा का बंधन नहीं होगा।

3.4(7) अभ्यर्थी/छात्र को योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त हो सकेगा चाहे अवसरों की संख्या कितनी भी हो, तत्संबंध में चयनित प्रशिक्षण संस्थान को अभ्यर्थी/छात्रों से एक शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा कि उन्होंने इसके पूर्व राज्य/केंद्र शासन की किसी प्रशिक्षण योजना अंतर्गत कोई लाभ नहीं लिया है।

3.4(8). योजना के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षणार्थियों/छात्रों को सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बिना किसी पूर्व सूचना एवं वैध कारण के 15 दिन से अधिक अनुपस्थित होने की दशा में प्रशिक्षणार्थी पर किया गया सम्पूर्ण व्यय संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/प्रशिक्षणार्थी से वसूल किया जावेगा। विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति अंकित करने हेतु उपस्थित पंजी के अतिरिक्त बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया जाएगा।

3.4(9). कुल स्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए एवं 03 प्रतिशत स्थान निःशक्तजनों के लिए चिन्हित होंगे। उक्त स्थानों पर अन्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन केवल उसी दशा में किया जा सकेगा जबकि पात्रता अनुसार महिला/निःशक्तजन उम्मीदवार उपलब्ध न हो।

3.5 प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों के लिए चयन समिति :- चयनित प्रशिक्षण केंद्रों में नियम अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु स्थानीय स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जावेगा, जिसमें संस्थान के पदाधिकारी, विषय विशेषज्ञ एवं विभाग के मुख्यालय अथवा जिला स्तर के अधिकारी (सहायक संचालक/निरीक्षक) सम्मिलित होंगे। यह समिति अभ्यर्थियों की योजना में निर्धारित आय सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता की मेरिट एवं अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का चयन करेगी।

3.6 प्रशिक्षण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षक का चयन:-

प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के लिए योग्य, अनुभवी प्रशिक्षकों का एक पेनल बनाएगी एवं समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण विषय संबंधी नवीनतम ज्ञान से अध्यतन रखेगी।

3.7 योजना की नोडल एजेंसी:-

विभाग की ओर से इस प्रशिक्षण योजना की नोडल एजेंसी, कार्यालय संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास, भोपाल होगा। योजनांतर्गत सभी चयनित प्रशिक्षण केंद्रों को प्रशिक्षण संबंधी शुल्क की राशि का वित्तीय प्रवाह/ भुगतान विभाग की नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा एवं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों की राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग/समन्वय, जानकारी के संकलन का कार्य नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।

3.8 योजना की राशि विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास अभिकरण को अनुदान राशि के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी एवं अभिकरण द्वारा प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी के प्रस्ताव अनुसार प्रशिक्षणदाता संस्था को ई-पेमेंट के द्वारा भुगतान किया जाएगा।

3.9 विभाग के इस राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा इस योजना के वित्तीय मापदण्डों के अनुसार म0प्र0 राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस केंद्र द्वारा योजना निधि से विभागीय स्वीकृतिनुसार समय-समय पर प्रतियोगिता दक्षता/कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

3.10 योजना के वित्तीय मापदण्ड:-

3.10(1) योजनांतर्गत चयनित प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु राज्य शासन से शतप्रतिशत अनुदान/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

3.10(2) योजनांतर्गत विमुक्तघुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के युवक एवं युवतियों को निम्नलिखित समूह अनुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। सूमहवार प्रशिक्षण अवधि अनुदान के रूप में स्वीकृत प्रशिक्षण शुल्क की राशि एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किया जाने वाले स्ट्राइपेण्ड की जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रतियोगी परीक्षा हेतु भर्ती गुप	अवधि	प्रशिक्षण शुल्क प्रति छात्र (सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि के लिए) (रु.)	शिक्षावृत्ति की राशि प्रतिमाह रूपये
1	समूह "ए"	संघ / राज्या शासन द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों की पूर्ति हेतु आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य शासन के प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड / केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग / आई.बी.पी.एस. / रेल्वे / एम.पी.सी.पी.सी. टी. एवं अन्य समकक्ष संस्थाओं द्वारा विभिन्न श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ	08 माह (न्यूनतम 800 घंटे)	प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण शुल्क अधिकतम सीमा 30,000 / - तक (संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि)	1,000 / - मुख्यालय से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए एवं 500 / - स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए (अधिकतम छः माह हेतु)
2	समूह "बी"	विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा यथा-जे.ई.ई. मेन्स एवं एडवान्स. ए.आई.पी.एम.टी / एन.ई.ई. टी., क्लेट.सी.ए. इत्यादि तकनीकी / व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएँ-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
3	समूह "सी"	(अ) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न एक वर्षीय रोजगारोन्मुखी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (पी.जी.डी.सी.ए. / डी.सी.ए. / फैशन डिजाईन / गारमेंट मैकिंग पाठ्यक्रम इत्यादि) साथ	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षा सत्र (न्यूनतम 800 घंटे)	प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण शुल्क अधिकतम सीमा 30,000 / -	-तदैव-

	में एकीकृत व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम/सॉफ्ट स्किल। (सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, अंग्रेजी, तर्कशक्ति, एप्टीट्यूड टेस्ट, एम.पी. सी.पी.सी.टी. प्रशिक्षण इत्यादि) नोट: प्रशिक्षण हेतु इस ग्रुप में चयनित अभ्यर्थियों हेतु पृथक से विमुक्तधुमकड़ एवं अर्द्धधुमकड़ वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं होगा।				
--	---	--	--	--	--

नोट:- 1. सभी समूह के प्रशिक्षणों के साथ बैसिक कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण आवश्यक।

- 3.10(3) उपरोक्त वित्तीय मापदण्डों के आधार पर प्रवेश लेने वाले प्रति अभ्यर्थी के मान से गणना कर राशि अनुदान के रूप में संबंधित प्रशिक्षणदाता संस्थान उपलब्ध करायी जाएगी।
- 3.10(4) शिष्यवृत्ति की पात्रता हेतु अभ्यर्थी की प्रशिक्षण में प्रत्येक माह 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।
- 3.10(5) इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को सभी कक्षाओं में उपस्थित रहना होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी वैध कारण के बिना 15 दिन से अधिक तक अनुपस्थित रहता है या कोचिंग/प्रशिक्षण को बीच में छोड़ देता है तो उस अभ्यर्थी पर किया गया पूरा खर्च संबंधित संस्थान/विद्यार्थी/अभ्यर्थी से वसूल किया जाएगा।
- 3.10(6) विभाग द्वारा प्रशिक्षणदाता संस्थान को अनुदान के रूप में स्वीकृत प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान 03 किशतों में कार्य की प्रगति के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा:-
- अ. प्रथम किस्त :- योजना नियमानुसार प्रशिक्षण संस्थान का चयन होने पर नोडल एजेन्सी के साथ अनुबंध निष्पादित करने पर एवं प्रशिक्षणार्थियों के चयन की सूची नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत करने पर कुल स्वीकृत प्रशिक्षण शुल्क की 45 प्रतिशत राशि अथवा वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रथम दो त्रैमासों में उपलब्ध कराये गये बजट प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण संस्थान को प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

- ब. **द्वितीय किश्त :-** प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ होने पर एवं प्रशिक्षण प्रदायक संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने के उपरांत आवश्यक जानकारी नोडल एजेंसी कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात कुल स्वीकृत प्रशिक्षण शुल्क की 30 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण संस्थान को द्वितीय किश्त के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।
- स. **तृतीय किश्त :-** अभ्यर्थियों की उपस्थिति, प्रशिक्षण कार्य की प्रगति, असेसमेंट, सर्टिफिकेशन एवं प्लेसमेंट उपरांत जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने के पश्चात कुल स्वीकृत प्रशिक्षण शुल्क की 25 प्रतिशत राशि। प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संबंधित प्रशिक्षण प्रदायक संस्था के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से किया जायेगा।

3.10 (7) प्रशिक्षण शुल्क में सम्मिलित राशि:-

अ. चयनित प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षण शुल्क राशि से प्रशिक्षकों को मानदेय, भवन किराया, पंजीयन शुल्क, असेसमेंट शुल्क का भुगतान, पुस्तकालय, स्टूडेंट किट, शिक्षण सामग्री एवं आवश्यक सहायक उपकरणों की व्यवस्था आदि की जायेगी।

ब. प्रशिक्षण शुल्क की राशि से पात्रता अनुसार शासन संबंधी देयकों का भुगतान प्रशिक्षणदाता संस्थान द्वारा किया जाएगा। इस हेतु पृथक से राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी। टी.डी.एस स्रोत पर ही काटा जायेगा।

3.10(8) प्रशिक्षण संस्थान, चयनित प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह निर्धारित दर पर स्वीकृत शिष्यवृत्ति की राशि 75 प्रतिशत उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके आधार लिंक बैंक खातों में इलेक्ट्रानिक माध्यम से सीधे उपलब्ध कराएगा। इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त पृथक से शिष्यवृत्ति राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने की दशा में शिष्यवृत्ति की शेष राशि संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को पूर्ण विवरण देते हुए वापस की जाएगी।

3.11 अनुबंध पत्र का निषादन:-

प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चयनित प्रशिक्षण संस्थान को विभाग की नोडल एजेंसी कार्यालय संचालक, विमुक्तधुमककड़ एवं अर्द्धधुमककड़, जनजाति विकास, 35 राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल के साथ एक लिखित अनुबंध निष्पादित करना होगा जिसमें प्रशिक्षण संबंधी समस्त आवश्यक शर्तों एवं निर्देशों का उल्लेख किया जाएगा, जो दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

3.12 प्रशिक्षण शुल्क के संबंध में सुरक्षा निधि (जमा राशि)

चयनित प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व राशि रुपये 2,00,000/- शब्दों में (रुपये दो लाख मात्र) की बैंक गारंटी नोडल एजेंसी कार्यालय में अनुबंध पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिससे कि प्रशिक्षण अवधि में चयनित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता करने की स्थिति में संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्क की राशि की नियमानुसार वसूली की जा सके। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करने पर संबंधित प्रशिक्षण संस्था को उसके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी।

3.13 सफलता एवं प्रतिफल की दर:

चूंकि योजनांतर्गत स्वीकृत ग्रुप ए, बी एवं सी के पाठ्यक्रमों के स्तर में भिन्नता है तथा इन प्रवेश परीक्षाओं की सफलता की दर भी भिन्न-भिन्न हैं। अतः विभागीय योजनांतर्गत ग्रुप ए एवं बी के प्रशिक्षण के प्रतिफल के आकलन हेतु प्रशिक्षणार्थियों का स्वतंत्र एजेंसी से थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया जावेगा। असेसमेंट हेतु एजेंसी का निर्धारण प्रतिवर्ष विभाग द्वारा पृथक से किया जावेगा। इस असेसमेंट में सफलता की न्यूनतम दर 50 प्रतिशत अनिवार्य होगी। जी.मेन्स एवं ग्रुप सी अंतर्गत मूल परीक्षा में सफलता की न्यूनतम दर 70 प्रतिशत होना अनिवार्य होगी।

3.14 प्लेसमेंट का फॉलोअप:-

प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आगामी दो वर्षों तक प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट का फॉलोअप किया जाएगा एवं प्लेसमेंट की जानकारी विभाग की नोडल एजेंसी को उपलब्ध करायी जाएगी। अधिक सफलता एवं प्लेसमेंट करने वाली संस्थाओं को आगामी चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

3.15 निरीक्षण:-

निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण मुख्यालय एवं विभाग के जिला अधिकारियों/विभाग की चयनित नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

3.16 मूल्यांकन:-

योजना का मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा कराया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों का इकाई मूल्यांकन संबंधित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रतिमाह किया जाकर उसके अगिलेख सुरक्षित रखे जाएंगे।

मध्यप्रदेश के गवर्नर के नाम में तथा आदेशानुसार,

रमेश एस शेट्टे, सचिव

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. B-3243

Jabalpur, the 26th June 2018

AMENDMENT IN “THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH RULES, 2008 ”

Sub-rule 3 (A) of rule 18 in chapter-XII as published in the Madhya Pradesh Official Gazette Notification dated 6th April 2018 [Part-IV (ग)] is withdrawn.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHUKLA, Registrar General.

IndiaCode